

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यायाना भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : eeo@moef.gov.in

विषय— राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/08/2023 को संपन्न 482वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं बैठक दिनांक 22/08/2023 को श्री. बी.पी. मोन्टाने, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. श्री. वीलेस कुमार जखन्य, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री. एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री. विजय सिंह पुन, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री. मनोज कुमार चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री. डी. सहज वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सन्निहित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 482वीं, 483वीं एवं 484वीं बैठक क्रमांक दिनांक 09/08/2023, 10/08/2023 एवं 11/08/2023 को कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं, 483वीं एवं 484वीं बैठक क्रमांक दिनांक 09/08/2023, 10/08/2023 एवं 11/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सौंप प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: - ग्रीन/बुल्वुड क्षमिर्जी एवं कन्सट्रक्शन परियोजना तथा औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरनों के अनुमोदन संबंधित पर्यावरणीय सीसुति / टी.ओ.आर./अन्य आवश्यक निर्देश लिखा जाना।

1. मेकर्स परस्तामदर लाईन स्टोन मर्डीन (इन.ए. विस्टा लिमिटेड), घान-परस्तामदर, तड़गील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-माटाघात (सचिवालय का पत्ती क्रमांक 2388)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 423152/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित युवा पार्क (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नरसामपुर, तहसील-बलीदासजार, जिला-बलीदासजार-भाटापारा स्थित खदान क्रमांक 228, 229, 238, 240, 241/1, 241/3, 242/2, 243, 245, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270/1, 270/2, 273, 274, 275, 277/1 में शामिल 279, 282, 283, 284 में शामिल 285, 289/1/1 में शामिल 291, 289/1/2 में शामिल 291, 289/1/3 में शामिल 291, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 456, 479, 271, 272, 353/1 शामिल 355, 353/2, 344/1, 339/1, 339/2, 346/1, 346/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277/2 शामिल 276, 277/3, 266/1, 266/2, 266/2, 266/3, 297/1 शामिल 297/2, 297/3, 312/1, 312/2, 321/1, 321/2 शामिल 322/1, 325/1, 325/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 401/17, 401 एवं 402, कुल क्षेत्रफल-28.461 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमआईएसी, प्रतीकचक्र के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 22/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू रामाचंद्र, प्लॉट हेड एवं श्री सुदीप द्विवेदी, डी.डी.एम, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समस्थित हुए। समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि दृष्टत माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दक्षिण जानकारी/ अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को खदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स डोर ड्रिन्स अर्बेसले क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट एम्ब किला विमपी डिक प्लॉट प्रोजेक्ट (श्री- श्री जीवरत्न चंदाकर), ग्राम-डोर, तहसील व जिला-नरसामपुर (सविद्यालय का नक्का क्रमांक 1812)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61881/2021, दिनांक 18/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिवेश पोर्टल 2.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के दौरान पुनः नया टी.ओ.आर ऑनलाईन आवेदन प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425788/2023 जनरेट (Automatic) हुआ। तापतथा पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/425884/2023, दिनांक 13/04/2023 जमा है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उल्लानन (सीम खनिज) खदान एवं किसस सिन्धी ईट उत्पादन इकाई है। खदान राम-शेर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खदान क्रमांक 3818, 3819, 3849, 3850, 3851, 3852, 3858, 3881, 3882, 3883, 3722/1, 3884/1, 3884/2, 3885, 3888, 3722/2 एवं 3723, कुल क्षेत्रफल - 6.93 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उल्लानन क्षमता - 5,102 घनमीटर ईट उत्पादन इकाई 51,02,000 (नव) प्रतिवर्ष है।

पूरु में एस.ई.ए.सी. फलौसगढ़ के ज्ञान दिनांक 38/06/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कॉटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टेपडाई टर्नर ऑफ लिसेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकॉग्निशन इन्फॉर्मेट क्लीयरेंस बफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टेपडाई टीओआर (लोक मुनडाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. फलौसगढ़ के ज्ञान दिनांक 18/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 22/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि बन्दावन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार की रूप में मेसर्स कॉर्पोरिजेशन लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुची अंजली बनाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स एसीएज एनवायरमेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीएज एनवायरमेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अधिनियम कानून से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्रवाही करे जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉर्पोरिजेशन लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अम्बरटैकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स कॉर्पोरिजेशन लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं तालावित (Analyzed and Validated) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित समस्या तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स कॉर्पोरिजेशन लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश का होना बताया गया।
2. पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूरु में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. छान पंचायत का अनावृति प्रमाण पत्र - उल्लानन के संबंध में छान पंचायत शेर का दिनांक 13/11/2018 का अनावृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** - खादी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड खादी कॉलेजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञान क्रमांक 268/खनिज/स.प.अनुसंधान/न.प्र.02/2018(2) तथा रायपुर दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुसंधित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्खा), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 732/क/खनि/न.प्र.09/2018 महासमुंद, दिनांक 03/08/2022 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.94 हेक्टेयर हैं।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्खा), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 264/क/खनि/न.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 01/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बसाही वाला 65 मीटर दूर है।
7. **एल.ओ.आई, संकीर्ण विद्युत** - एल.ओ.आई की जीवराज चन्द्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्खा), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 1815/क/खनि पट्टा/खनि./न.प्र.09/2019 महासमुंद, दिनांक 10/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी किराया जारी दिनांक से 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 09/11/2021) की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई की किराया वृद्धि संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञान क्र. 08/खनि 02/स.प.-अनुसंधान./न.प्र.50/2017(4) तथा रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी किराया 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 08/11/2022) की अवधि हेतु वैध थी। तदनुसार एल.ओ.आई की किराया वृद्धि सख्खा संचालक, भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 09/2022 द्वारा जारी करित आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्तीर्णगढ़ गीम खनिज, 2015 के नियम 42(3) परंतु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम सम्भावधि उदान करते हुए उक्त कलेक्टर, जिला महासमुंद को अधिसूचित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. **भू-सूचिका** - भूमि खसत क्रमांक 3815 की उत्तरांचल एवं सुधी आरा बाई, खसत क्रमांक 3818 की मान सिंह, खसत क्रमांक 3849, 3850 एवं 3851 श्रीमती कंठा बाई, खसत क्रमांक 3852 की लक्ष्मी नारायण, खसत क्रमांक 3858 की आनंद राम, खसत क्रमांक 3881 की मोहन, खसत क्रमांक 3882 की दुमन, खसत क्रमांक 3883 एवं 3722/1 श्रीमती भानवती, खसत क्रमांक 3884/1 की मोहन, श्री जीवन, श्री रमेश, श्री दीरजाल, खसत क्रमांक 3884/2 की विरोजाल, खसत क्रमांक 3888 की वीरुजाल, खसत क्रमांक 3722/2 श्रीमती कोरडूम, खसत क्रमांक 3723 की देवुजाल, श्री संतोषाम्, श्री देवतराम, श्रीमती खमिरी एवं खसत क्रमांक 3886 अर्जुन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि सूचिका का सहजी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसम्बलधिकारी, सामान्य वनसम्बल, जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक/ना.वि./3131 महासमुद्र, दिनांक 05/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.5 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-होर 680 मीटर, स्कूल ग्राम-होर 960 मीटर एवं अस्पताल महासमुद्र 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 28.4 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 135 मीटर, नहर 480 मीटर, तालाब 680 मीटर एवं बगईची नदी 3.6 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जैववैविध्यता क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अखण्ड जैववैविध्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्टिकली पील्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संसाधन एवं खनन का विवरण – डिस्ट्रीक्टिकल रिजर्व 1,28,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 1,28,775 घनमीटर एवं निकरवेबल रिजर्व 1,28,199 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,904 वर्गमीटर है। खनन कार्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भूदा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी किचल किचनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 13 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रकाल किया जाएगा। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित सर्वेयर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (मन)
प्रथम	5,102	51,02,000
द्वितीय	5,102	51,02,000
तृतीय	5,102	51,02,000
चतुर्थ	5,102	51,02,000
पंचम	5,102	51,02,000

आगामी वर्ष की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (मन)
प्रथम	5,102	51,02,000
द्वितीय	5,102	51,02,000
तृतीय	5,102	51,02,000
चतुर्थ	5,102	51,02,000
पंचम	5,102	51,02,000

14. **जल आपूर्ति** – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.5 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति बीरोपल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अर्वाइटी का अनपेक्षित प्रस्ताव पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **कुआरेशन कार्य** – जीआर क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की गहराई में कुल 650 नम कुआरेशन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पानी के लिए राशि 10,450 रुपये, सिंचिंग के लिए राशि 1,72,800 रुपये, खाद के लिए राशि 24,000 रुपये, सिंचाई एवं स्त्र-स्त्राव आदि के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,47,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं स्त्र-स्त्राव हेतु कुल राशि 6,60,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण :-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्य लेवल:-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	34	47	60
PM _{2.5}	52	76	100
SO ₂	8	16	80
NO ₂	12	26	80

iii. **परिवोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:-** ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य स्थायिक लवणों का मान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	38.2	52.4	75
Night L _{eq}	31.2	41.6	70

जो जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **एक मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है।** 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

16. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्यों के परिणामी अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का सामान्य स्तर—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	24	57	60
PM ₁₀	53	76	100
SO ₂	6	18	60
NO _x	11	34	60

17. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्यों के परिणामी अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	37.7	53.1	75
Night L _{eq}	31.7	42.7	75

जो एकल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

18. पी.सी.यू की गणना— भारी वाहनों / मल्टीपल्लर ट्रेपि वाहनों को सम्बन्धित करते हुए ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 757 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.126 है। प्रस्तावित परिवर्धना लगभग 66 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्परचात कुल 823 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.142 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-मॉडरिफाई / प्रोडक्ट्स के परिचयन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपिटी क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 08/08/2022 को दोपहर 12:00 बजे स्थान - राम संघात मठम चौक के समीप, तहसील व जिला-बहामनपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदस्य सचिव, उत्तरीसंगम पर्यावरण संरक्षण मंडल, गढ़ा रावपुर अटल नगर, जिला-बामपुर के पत्र दिनांक 08/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- घाम चौक, सारलैभाटा में पर्यावरण को देखते हुए वृक्षारोपण किया गया है।
- घाम में जो बेरोजगार हैं वो पहले अन्य राज्यों में रोजगार हेतु जाने को मजबूर थे। सारलैभाटा में ईट मट्टा खुलने से उन्हें रोजगार मिलेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्धना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है—

- घाम चौक क्षेत्र में 1,888 नम पीछे एवं गैर सड़किय क्षेत्र में 60 नम पीछे अर्थात् कुल 1,948 पीछे स्थानीय प्रजाति के पीछे का रोपण किया जाएगा एवं सुका के लिए कंटेनर बाड़ के साथ निचत अंतराल किया जाएगा।
- उत्तरीसंगम सामान की अवरोध पुनर्स्था एवं रोजगार नीति के अनुसार घोषणा तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय घानीयों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा।

19. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 3 खदानें आती हैं। उक्त कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निर्वहन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से वापस धूल उत्सर्जन के निर्वहन हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 1 कि.मी.	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (368 मग) इस्तेमाल हेतु	2,31,000	1,58,000	1,58,000	1,58,000	1,58,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग (Monthly security)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेकअप डेम्स पर विलेजर्स	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 29,63,000	5,91,000	5,18,000	5,18,000	5,18,000	5,18,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्धन प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निर्वहन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से वापस धूल उत्सर्जन के निर्वहन हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 538 मीटर	98,924	98,924	98,924	98,924	98,924
538 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (368 मग) इस्तेमाल हेतु	1,24,385	85,077	85,077	85,077	85,077
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट	43,077	43,077	43,077	43,077	43,077
सड़क/पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु	32,308	32,308	32,308	32,308	32,308
हेल्थ चेकअप डेम्स पर विलेजर्स	21,539	21,539	21,539	21,539	21,539
कुल राशि = 14,33,933	3,18,333	2,88,925	2,88,925	2,88,925	2,88,925

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
64.95	2%	1.90	Following activities at Village- Sher Plantation and Fencing at Village Pond, AMC for 5 years	2.1
			Total	2.1

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत लालच पर (आग, कटाइल एवं जायुने) कुशासेपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नम पीछी के लिए राशि 8,000 रुपये, पंशिन के लिए राशि 8,000 रुपये, आव के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 26,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 44,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,58,000 रुपये हेतु एटकेवल कर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गैर के सहमति उपरोक्त लालच के जारी और कुशासेपन (खसरा क्रमांक 1818, बीजफल 0.38 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लड़ित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध कानून सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रत्येकन का प्रकरण लड़ित नहीं है।
24. एगुनिटिव इस्ट इमरलिन के नियंत्रण हेतु नियमित जल डिफेंडर किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. गार्डिंग लीज क्षेत्र के अंदर खदान कुशासेपन किये जाने एवं रोपित पीछी का सलवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमाखन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, लालच, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. नेशनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and others (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. नेशनल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश

निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. संयुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के अनुपालन के लिए पर्यावरण के नाई-कलईता के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आयेदलों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा नियन्त्री में पर्यावरण प्रदूषण योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आवेदित खदान में प्रस्तावित विभिन्न किन्ड की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिचालन दिनांक के तहत का उपयोग करते हुए ईट निर्माण किये जाने बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन रोड का उपयोग किये जाने बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईट भट्टों हेतु जारी दिशा-निर्देश के दिखती क्रमांक 8 के अनुसार "ईट भट्टों को आवनी और चूने की बाजी से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ आदेश, जनसंख्या घनाय, जल निकासी, संवेदनशील निस्तरस इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सत्ता बना सकते हैं।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा-निर्देश के तहत आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईट भट्टों का निर्माण नहीं किया जाना है।

लीज क्षेत्र से निकटतम आवेदी घास-रोज 680 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रस्तुत उत्खनन योजना में विन्नी/विन्ड के प्रस्ताव को हटाकर गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए केवल मिट्टी उत्खनन किये जाने बाबत संतोषित अनुमोदित उत्खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कलाकन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. उपरोक्त के संकेत में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र से केवल मिट्टी का उत्खनन कार्य किया जाएगा एवं लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का विन्नी भट्टा (विन्ड विन्नी) या विन्नी विन्ड के माध्यम से चूने ईट का निर्माण नहीं किया जाएगा आवेदित खदान हेतु निर्मित उत्खनन योजना दर्शित विन्नी विन्ड के स्थान पर प्रतिबंधित माईनिंग क्षेत्र के रूप में प्रोव दिशा जाएगा। इस बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन किये जाने हेतु संतोषित व अनुमोदित उत्खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कलाकन प्रस्तुत किया जाए।

2. आवेदित खदान से बनाये जाने वाले काले ईट को कड़ा-कड़ा, किन-किन भट्टी में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टी को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त खानाभी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सालोभावा डिवस अर्चवने स्वामी माईन एन्ड विन्स विमनी डिक फाउंड (प्री-बी डिवलपमेंट वीथान), धाम-सालोभावा, तहसील एवं जिला-महाराष्ट्र (सचिवालय का पता नमती क्रमांक 1808)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81881/2021, दिनांक 18/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परिवेश चोर्टल 2.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के दौरान पुनः नया टी.ओ.आर ऑनलाईन आवेदन प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425802/2023 जनरेट (Automatic) हुआ। तत्परचात पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ईआईए रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/425887/2023, दिनांक 13/04/2023 जनरेट हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान एवं विन्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान धाम-सालोभावा, तहसील एवं जिला-महाराष्ट्र, खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/3, 158, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 188, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 188, 201, 202, 203, 204 एवं 205, कुल क्षेत्रफल-5.28 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता - 5,102 क्वन्टीटर (ईट उत्पादन इकाई 21,02,000 मग) उचित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. अतीसण्ड के डायन दिनांक 28/08/2021 द्वारा डायन 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन (टी.ओ.आर) ऑफ ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारण इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में उचित क्षेत्री (ए) का नोटिफिकेशन टी.ओ.आर (लोक सुन्वाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. अतीसण्ड के डायन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 465वीं बैठक दिनांक 22/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एमि कान्दाकर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सहायक के रूप में मेसर्स डी.एन.ए.ए. निगम इन्फिया प्राइवेट लिमिटेड, नोरख, उत्तराखण्ड की ओर से सुची अंजली बनाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स एसीविज एन्वायरमेंटल इन्फिया प्राइवेट लिमिटेड नोरख, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीविज एन्वायरमेंटल इन्फिया

प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अपरिहार्य कार्यों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हेतु आगामी कार्रवाई को जारी रखने में सम्ममता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स सीपनिजेस निगम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स सीपनिजेस निगम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का सतारदायित्व मेसर्स सीपनिजेस निगम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धान संरक्षण का अनामति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में धान संरक्षण बोर्ड का दिनांक 14/03/2021 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — जारी प्लान, इन्दापट्टीमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड जारी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भीमकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पृ. डायन क्र. 070/खनि 02/न.प्र.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) तथा रायपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 731/क/खनि/न.क्र. 03/2018 महासमुंद्र, दिनांक 03/08/2022 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.51 हेक्टेयर हैं।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 365/क/खनि/न.क्र. /2021 महासमुंद्र, दिनांक 01/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकर, मयू, स्कूल, अस्पताल, बाटर सफाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, बुसहाल, नगर, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरखाती गला 75 मीटर दूर है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. श्री कुलसाल दीवान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 1818/क/खनि महा/खनि/न.क्र. 08/2018 महासमुंद्र, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपल एक वर्ष (अर्थात् दिनांक 23/12/2021) की अवधि हेतु थी। तदनुसार एल.ओ.आई. की कैंपल वृद्धि संचालनालय, भीमकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. डायन क्र. 04/खनि 02/न.प्र. -अनुमि. /न.क्र.02/2017(4) तथा रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपल 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 22/12/2022) की अवधि हेतु थी। तदनुसार एल.ओ.आई. की कैंपल वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भीमकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 08/2022

द्वारा जारी पत्रित आवेदन दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिससे अनुसार "उत्प्रेषण विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकृत करने हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्प्रेषणद्वारा वीण खनिज निचम, 2015 के नियम 42(3) चर्चु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम समझौते प्रदान करने हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महाराजपुर की प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

8. भू-सामिति - भूमि संकलित दस्तावेज (सी-1, पी-2) एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की पहलीव प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, सामान्य वनसंरक्ष, जिला-महाराजपुर के द्वारा क्रमांक/स.वि./3134 महाराजपुर, दिनांक 03/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित स्थल की वन सीमा से 2.5 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सालोमाटा 450 मीटर, न्यूनतम ग्राम-सालोमाटा 600 मीटर एवं अस्पताल महाराजपुर 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.5 कि.मी. दूर है। बरगई नदी 3.40 कि.मी., नहर 510 मीटर, तालाब 365 मीटर, कंधवा नाला 145 मीटर एवं सीमा नी नाला 45 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
13. खनन संकेत एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 1,07,200 वर्गमीटर, माईनेबल रिजर्व 37,391 वर्गमीटर एवं रिजर्वेशन रिजर्व 68,443 वर्गमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,902 वर्गमीटर है। खनन काट निकुप्रत स्थिति से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 2,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्टा स्थानित किया जाएगा, जिसकी किला विन्नी की न्यूनतम ऊंचाई 30 मीटर प्रस्तावित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 13 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाएगा। अनुशोधित जारी पत्रान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (वर्गमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
प्रथम	5,102	51,02,000
द्वितीय	5,102	51,02,000
तृतीय	5,102	51,02,000

घरुई	5,102	51,02,000
पंचम	5,102	51,02,000
षष्ठम	5,102	51,02,000
सप्तम	5,102	51,02,000
अष्टम	5,102	51,02,000
नवम	5,102	51,02,000
दशम	5,102	51,02,000

14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति क्षेत्रों के माध्यम से की जायेगी। इस काम में सेंट्रल प्राथमिक बीटर इन्फ्रस्ट्रक्चर का अभावहीन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य - लैंड क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 1 मीटर की चौड़ी गैर 348 मग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बायीं के लिए सड़की 11,418 रुपये, सीडिंग के लिए सड़की 1,72,820 रुपये, खाद के लिए सड़की 25,890 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए सड़की 1,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल सड़की 3,50,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल सड़की 8,88,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यवसान व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र - खदान से नौसमी मात्रा 45 मीटर दूर है। माईनिंग प्लान अनुसार 240 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
17. ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण -

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	24	47	50
PM ₁₀	52	78	100
SO ₂	8	15	50
NO ₂	12	26	50

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दशमि नवे टेबल अनुसार कलोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्गेनिक एवं अन्य रसायनिक कचरे का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	38.2	52.4	75
Night L _{eq}	31.2	41.6	70

जो एकल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

iv. एकल मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थलों पर परिवेष्टीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थलों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थलों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

v. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	24	57	60
PM ₁₀	53	78	100
SO ₂	8	18	80
NO ₂	11	34	80

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेष्टीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	37.7	53.1	75
Night L _{eq}	31.7	42.7	70

जो एकल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम कुलमालमक रूप से सफल पाये गये।

vii. पी.सी.यू की गणना- सभी बसों / मल्टीप्लेक्स हीवी वाहनों को सम्बंधित कठोरे हुए ट्रेकिंग अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 137 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.128 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरान्त 88 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 225 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (ATC ratio) 0.142 होगी। विस्तार के उपरान्त भी पी-वैरेरिबल / डोकवर्टन के परिचालन हेतु सड़क मार्ग की जोड़ करीब क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 28/08/2022 को दोनहर 12:00 बजे स्वाम - राम पंचायत भवन भौमरा के सभिय, तहसील व जिला-बहासमुंद में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावकेत स्वाम सभिय, प्रतीसमंड पर्यवेक्षण संकल्प मंडल, नया रामपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

- ग्राम सोगरा, सालेमाटा में पर्यवेक्षण को देखते हुए सुधारोपेक्ष किया गया है।
- ग्राम में जो बेरोजगार हैं वो पहले अन्य राज्यों में रोजगार हेतु जाने को सज्जुर थे। सालेमाटा में ईट भट्टा खुलने से उनके रोजगार मिलेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवेष्टीय प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंपाउण्टे का कथन निम्नानुसार है-

1. खदान चौथे क्षेत्र में 1,000 मग पीछे एवं गैर पाइपिंग क्षेत्र में 60 मग पीछे अर्थात् कुल 1,060 पीछे, स्थानीय प्रकृति के चौथे का रोपण किया जाएगा एवं सुरक्षा के लिए कंटेनर बाड़ के साथ नियत अंतराल किया जाएगा।
 2. राष्ट्रीय हासन की आदर्श पुनर्वसन एवं रोजगार नीति के अनुसार योजना तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा।
20. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करने हेतु कलक्टर में कुल 3 खदानें आती हैं। अब कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 1 कि.मी.	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
पट्टी मार्ग के दोनों तरफ (600 मग) कुआरोपण हेतु	2,31,000	1,58,000	1,58,000	1,58,000	1,58,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (28 गाड़ी)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टी मार्ग के रख-रखाव हेतु	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
दोन्ना रोडकर केन्द्र पर किरायेदार	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 28,63,000	5,91,000	5,18,000	5,18,000	5,18,000	5,18,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टी मार्ग की कुल लम्बाई 418 मीटर	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
638 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (217 मग) कुआरोपण हेतु	87,000	68,000	68,000	68,000	68,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
सड़क/पट्टी मार्ग के रख-रखाव हेतु	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

हेमब वेस्टवर्क कंपनी ऑर विलेजर्स	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
कुल राशि = 12,26,000	2,70,000	2,39,000	2,39,000	2,39,000	2,39,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्ननुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.78	2%	0.98	Following activities at Village- Balhobhatha	
			Plantation and Fencing at Village Pond, AMC for 5 years	1.35
			Total	1.35

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटवेल एवं जालुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नम पीछी के लिए राशि 3,000 रुपये, पीसिंग के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव जादि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 33,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,02,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम वंचवत मास्लेभास के सहमति उपरोक्त तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (कमरा कमरेक 268, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिवृत्त का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. फ्लूजिटिव कस्ट जार्रजिन के निबंधन हेतु नियमित जल टिफ्टवय किये जाने काबतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खदान वृक्षारोपण किये जाने एवं संभित पीछी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने काबतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत काउन्ट्री मिनेरल्स द्वारा सीनरसन का कार्य सुनिश्चित किये जाने काबतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का बहाव प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईटलैंड्स के अनुसार कलकत्ता में सम्मिलित सभी असेटकों को द्वारा पर्यावरण सभिति का गठन किये जाने एवं सभिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. आवेदित खदान में प्रस्तावित विमनी किल्ला को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिषिप्त विभागेन रेटर्न का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले क्लॉई ऐश को उचित रख-रखाव के लिए टिन शैड का उपयोग किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईट भट्टा हेतु जारी दिशा-निर्देश के दिमनी ब्लॉक B के अनुसार "ईट भट्टों को आसानी और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति/आचार, जनसंख्या प्रभाव, जल निष्कायी, संवेदनशील सिस्टम/इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुये स्थापित भावदलों को सख्त बना सकते हैं।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा-निर्देश के तहत आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईट भट्टों का निर्माण नहीं किया जाना है।

सीज क्षेत्र में निकटतम आबादी घान-साकेगाटा 450 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रस्तुत उल्लेखन योजना में विमनी/किल्ला के प्रस्ताव को इटाकल पैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए सीजल मिट्टी उल्लेखन किये जाने बाबत संश्लेषित अनुमोदित उल्लेखन योजना सख्त अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. उपरोक्त के संश्लेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सीज क्षेत्र में सीजल मिट्टी का उल्लेखन कार्य किया जाएगा एवं सीज क्षेत्र से अंदर किसी भी प्रकार का विमनी भट्टा (विमनी विमनी) या विमनी किल्ला के माध्यम से पक्की ईट का

निर्माण नहीं किया जाएगा आवेदित खदान हेतु निर्मित उत्खनन योजना दर्शित विननी क्लिन के स्थान पर प्रतिबंधित माइनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया जाएगा। इस बाबतु शक्य पत्र (Notwithstanding) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1, बी-2) एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनी का सहमति पत्र की पतनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित लीड क्षेत्र में कंसल मट्टी उत्खनन किये जाने हेतु संबंधित व अनुमोदित उत्खनन योजना सख्त अधिनियम से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से बनाने जाने वाले कच्चे ईंट की कहां-कहां, क्लिन-क्लिन मट्टी में उपयोग किया जाएगा तथा इन मट्टी को पर्यावरणीय खीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त खानाभी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

4. वेसर्स महावीर जीत वीहरीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-कन्हाईबंद, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2098)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 77589/ 2022, दिनांक 31/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 427584/ 2023, दिनांक 29/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय खीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह समतल विस्तार का प्रकार है। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कन्हाईबंद, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग विचल खदान क्रमांक 66/10 व 66/11, कुल क्षेत्रफल-8.58 हेक्टेयर (17.28 एकड़) में संघटित कोल खीकृति समतल-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परिचोजना का विनियोग 22 करोड़ है। समतल विस्तार उपरोक्त परिचोजना का कुल विनियोग रुपये 25 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. चतुस्रुद्ध के द्वारा क्रमांक 1515, दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रकार बी-1 कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अथवा ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेनी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक पुनर्वास सहित) कोल खीकृति समतल-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के टाईम हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. चतुस्रुद्ध के द्वारा दिनांक 18/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 22/06/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनायक कुमार जैन, सौजन्यकान एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, जयपाल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इन्फ्रैस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की टीम से श्री जे. के. सोड्या उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- एच.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ के आपन क्रमांक 1820, दिनांक 04/03/2022 द्वारा मेसर्स महावीर कोल कौंसरीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-कन्हाईबंद, लहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग मिथत खसरा क्रमांक 58/1 (खटाकन परचातु खसरा क्रमांक 55/10 एवं खसरा क्रमांक 58/11), कुल क्षेत्रफल - 8.98 हेक्टेयर (17.28 एकड़) में प्रस्तावित सी-कोल बॉसरी क्षमता - 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंडल, नया रायपुर अटल नगर के आपन क्रमांक 1538, दिनांक 07/08/2022 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंध प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति - उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल बॉसरी क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति दिनांक 20/04/2022 को जारी की गई।

3. निकटतम मिथत कृषाकलापी संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवादी ग्राम-कन्हाईबंद 1.8 कि.मी. लकूल एवं अमरगल पैला 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन पैला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इससेव नदी 8.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिली पीएलुटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रतिबंधित किया है।

4. कोल बॉसरी क्षमता 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घण्टे से बढ़ाकर 20 घण्टे किया जाएगा।

5. ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र - परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हाईबंद का दिनांक 25/04/2018 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. भूमि स्वामित्व - महाप्रबंधक (यू-अर्जन), उत्तीरगढ़ स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आपन पृ. क्रमांक सीएचआईबीसी/यू-अर्जन/21/11103 रायपुर, दिनांक 21/12/2021 द्वारा जारी अधिनियम प्रमाण पत्र अनुसार 'मेसर्स महावीर कोल कौंसरीज प्राइवेट लिमिटेड को कोल बॉसरी की स्थापना हेतु जिला-जांजगीर-बांग, लहसील-जांजगीर के ग्राम-कन्हाईबंद की खसरा क्रमांक 55/1 का भाग (खटाकन परचातु खसरा क्रमांक 55/10 सख्या 8.708 हेक्टेयर

एवं खसरा क्रमांक 55/11 परचा 0.275 हेक्टर) कुल परचा 8.084 हेक्टर (17.28 एकड़) कासरीय भूमि (रेकलिंग) का अधिगत्य इकाई के प्रतिनिधि को दिनांक 24/12/2021 को सौंपा गया। होना बताया गया है।

7. **क्षेत्र एरिया सटेबलिट –**

S.No.	Description	Area (Acres)	Percentage (%)
1.	Washery Plant	3.45	20
2.	Raw Coal, Stock yard, Clean Coal & Rejects	3.45	20
3.	Other Facilities (Internal Roads, WTP, Staff Quarters etc.)	1.73	10
4.	Plantation	8.63	50
Total		17.28	100

8. **वी-परेरिडल –**

For Coal Washery				
Raw Material	Existing	After Expansion	Source	Mode of Transport
Raw Coal	0.99 MTPA	2.48 MTPA	SECL Korba	By Road through covered trucks
Operating time	1 Shift	3 Shift		

Material Balance

Product & By Product	Existing Quantity (MTPA)	After Expansion Quantity (MTPA)	Mode of Transport
Washed Coal	0.792	1.984	70 % By Railway and 30% By Road through covered trucks
Reject Coal	0.198	0.496	By Road through covered trucks

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** कोल अलन इकाई, पीटरी ड्रेकर एवं स्टीन हाउस में डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ वेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेंयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाइंट्स को ड्रॉप जॉब्स अधिनित्त वेग फिल्टर से संलग्न कर धिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बालूझड़ी बेल का निर्माण एवं वेग वन के साथ ऊँची स्टीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेसन / फ्यूजिटिव डस्ट कलर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिस्तेम की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. **पीट अधिशुद्ध अपवहन व्यवस्था –** पीटरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल कासरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास फावर प्लांट, ईट निर्माण इकाइयों एवं अन्य उपयोगों को इंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रयोग व्यवस्था –**

- **जल आपस एवं स्रोत –** परियोजना हेतु कुल 410 घनमीटर प्रतिदिन (कोल कासरीय प्रोसेस हेतु 344 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 13.5 घनमीटर प्रतिदिन, कृषासेवा हेतु 43.25 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेसन हेतु 8.25

घनमीटर प्रतिदिन) जल की कमात होनी, जिलकी आपूर्ति नू-जल में की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राचम्ब वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 02/09/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है, जो 180 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राचम्ब वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - इसी सीवेज सावकलोन अस्थापित वेद कोल वॉटररी स्थापित किया गया है। कलोन लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया में उत्पन्न दूषित जल को उपचार हेतु मिलर, बेजट प्रेस एवं सेटलिंग पीण्ड के माध्यम से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया में उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरोक्त पुनः प्रक्रिया में, इनट सप्लाय में तथा परिसर के वॉटर क्लारिफिकेशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दूषित जल को उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समता 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित जल को पूर्णतः कोल हेम्बलिंग एरिया में इनट सप्लाय हेतु उपयोग किया जाएगा। दूष्य निस्कारण की स्थिति रही जाएगी।

- **नू-जल उपयोग प्रबंधन** - परियोजना समत सेंट्रल प्राचम्ब वॉटर बोर्ड के अनुसार सैक जॉन में जाता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनः उपयोग एवं पुनः उपयोग किया जाना है।
 - (ब) प्राचम्ब वॉटर रिचार्ज हेतु उपवाई गई तकनीक तथा रेनवॉटर हार्बिस्टिंग / ऑटोमिजिफिल जल रिचार्ज के अन्तर्गत पर नू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राचम्ब वॉटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। अतः उद्योग को रेनवॉटर हार्बिस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. **रेन वॉटर हार्बिस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल संचयन 20,480 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्बिस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 टालक 9,300 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 10 मीटर) समता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रस्तावित रेन वॉटर हार्बिस्टिंग व्यवस्था परचम्ब परिसर को पूर्ण संचयन को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

13. **विद्युत क्षमता एवं स्रोत** - परियोजना हेतु 1800 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिलकी आपूर्ति कलकत्ता राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 किलोवाट का डी.जी. सेट लंबाई (10 मीटर) की किलनी के साथ स्थापित किया गया है।

14. **कृषारीरण संबंधी जलकारी** - वर्तमान में प्रतिदिन वॉटरिंग के विस्तार हेतु 4,000 नन पीपे स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कलकत्ता के लंदन 8.83 एकर (लगभग 50 प्रतिशत) क्षेत्र में कुल 4,500 नन पीपे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के तीन तरफ में 20 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में एवं रेनवे साइडिंग की लंबाई 40 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कृषारीरण किया जाना प्रस्तावित है।

असुरत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 1,42,000 रुपये, खाद के लिए राशि 33,750 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 8,21,750 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 11,34,300 रुपये अगामी चार वर्षों हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - नीतिद्वारा कार्य 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 को किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर जलमय धारा मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नीतिद्वारा परिचालनी के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	20.5	36.3	80
PM _{2.5}	33	47.9	100
SO ₂	4.5	10.4	80
NO ₂	9.1	18.3	80

3. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैबल अनुसार फ्लोराइडस, नाइट्रेटस, सल्फर, कार्बोनेटस, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

4. परिवेशीय ध्वनि धारा-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L ₉₀	50.8	52	75
Night L ₉₀	39.4	41.2	70

जो उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

5. पी.सी.यू. की गणना- बाहरी वाहनों/मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को सम्बन्धित करती हुई दृष्टिकोण अध्ययन रिपोर्ट असुरत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,500 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना स्थल 2,430 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। अन्ततया कुल 4,300 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के कारणों से पी-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपिंग क्षमता निर्धारित मानक से नीचे है।

6. अद्वितीय इम्पैक्ट असेसमेंट -

Environmental Aspect	Impact of 9.99 MTPA	Impact of 2.48 MTPA
Stack emission (30 m tall 500 TPH crusher stack)	Increment GLC (24-h avg) Uncontrolled - 8.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Controlled - 1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Increment GLC (24-h avg) Uncontrolled - 8.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Controlled - 1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Fugitive emissions	Increment GLC (24-h average)	Increment (24-h average) Uncontrolled 30.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	Uncontrolled 12.3 ug/m ³	
Ground water use	250 KLD	410 KLD
Waste water generation and disposal	No change	No change
Noise	Incremental Noise level at plant boundary will increase from 62.3 dBA to 62.5 dBA during day time and 50.2 dBA to 52.7 dBA during night time (due to project)	There will be no change in incremental noise level at plant boundary. Only the duration of increase will change from 8 hours to 20 hours
Traffic	214 trucks added 51% of the road capacity was utilized	554 trucks added 73% of the road capacity is now utilized

16. लोक मुनगाई दिनांक 15/03/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थल - इस्लामिक हाहा, घाम-कन्हाईबंद, लखीसराय-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांचा में संचालन हुई। लोक मुनगाई पर्यावरण सहायक समिति, लखीसराय पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर को प्रातः दिनांक 05/04/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनमुनगाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- कृषि भूमि बंजर होगी, कोयला के अस्ट से धान का रंग बदलने होगा, बासल काले होगे। पेड़-पौधे ऊपर से आदरणी के बूक जायेंगे। गाड़ी के लिये घास कटाई के काम नहीं जायेंगे। तालाबों का जल कोयला के धूल से प्रदूषित होये, निस्तार के लिये मानव, पशु, जानवरों के लिये बनाये हुये तालाब का कोई अतिक्रम नहीं रह जायेगा, जल उपयोग करने पर बीमार होगे।
- कोयला बालरी खुलने से सड़क में हाईवे एवं ट्रक का आवागमन बढ़ेगा, जिससे दुर्घटना होगी। सड़कों में कन्हाईबंद, सिवनी, चाली के आसपास कई स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। दुर्घटना के साथ-साथ धूल एवं धुआं से आम जनता की परेशानी बढ़ेगी।
- कोयला बालरी खुलने के कारण गांव के लोगों के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट आ रही है और लोगों को न ही रोजगार प्रदान किया गया है। प्रदूषण और रोजगार को ध्यान में रखकर कार्य किया जाये।

लोक मुनगाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसाल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रस्तावित उद्योग शुष्क जल निस्तारण प्रक्रिया के तहत लगाया जा रहा है, जिसमें कोयला बालरी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले जल को अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण बेल्ट फिल्टर प्रेस एवं सेटलिंग टैंक में उपचारित, पुनःप्रयोग कर उपयोग में लाया जायेगा, जिससे उद्योग के बाहर किसी भी प्रकार से जल का निस्तारण नहीं होगा। जिसके कारण किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं होगा तथा प्रक्रिया के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु उद्योग परिसर के सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। अतिरिक्त सुनिट एवं स्लीन हाउस के साथ बेस फिल्टर लगाया गया है, जो वायु प्रदूषण को उत्पत्ती को रोकथाम हेतु उपकरण है। वायु प्रदूषण का पूर्णतया नियंत्रण

करने हेतु कोल कोलिंग प्लांट पर स्टेक हाउस का निर्माण कराया गया है, जिससे कोयले से मिलने वाले कोयले से होने वाला प्रदूषण समाप्त हो जायेगा। बहनों के आवागमन से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु सीटर टीकर से नियमित जल छिड़काव किया जायेगा।

14. उद्योग के लिए कोयला लेकर आने व जाने वाले भारी वाहनों की गति को नियंत्रित करने हेतु स्पीड ब्रेकर एवं जी.पी.एस. सिस्टम लगे हुए अर्धे कठिनायन के वाहनों का उपयोग होगा तथा सड़क एवं नियुक्त वाहन चालकों द्वारा वाहन आवागामीयुक्त चलाये जाने का विशेष रूप से नियंत्रित नॉटिफिकेशन किया जायेगा, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी।

15. वाहनों का कार्य निर्माणधीन अवस्था में है तथा इस निर्माणधीन अवधि में राम-कन्हाईबंद एवं आसपास के इलाकों में लगभग 100 से 125 वाहनों इस निर्माण कार्य में कार्यरत हैं। प्रदूषण को रोकथाम हेतु समस्त प्रकार के उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। संभावित वास्तुशिल्प की उपस्था उद्योग प्रारंभ होने पर रोकथाम के अन्तर्गत उपलब्ध होंगे।

16. सदस्य अधिक, सलीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रावपुर अटल नगर की प्राप्ति क्रमांक 196, दिनांक 08/08/2023 के माध्यम से स्टेक हाउस उपरोक्त प्रांत अधिनियम की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अधिनियम को निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

आपत्ति	उत्तर
कोल वाहनों कोल जनसमुदाय के बीच में दुर्भागपूर्ण है। यह किल का विषय है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कन्हाईबंद की अलावा आसपास के अन्य गांव के कुछ वातावरण में कोयले के कणों की उपस्थिति ज्ञात हो रही है प्रदूषण कोलनी तथा लोगों को स्वास्थ्य में भी इसका प्रतिबल प्रभाव पड़ेगा। कोयला की उपाय इस तरह का भी वातावरण काया नजर आयेगा। जितनी सीमा अधिक प्रकार की कमीर काया की कोयलों के साथ पुकानी पड़ेगी। यहां जितनी के भविष्य में जींसत आदु पर भी प्रभाव पड़ेगा।	संघर्षित उद्योग सिटापरी बल्ली से 2 किमी दूर (50 मीटर) है पर आदर की जोर किया है। संघर्षित कोल वाहनों अवायुनिक तकनीक के साथ निर्मित है, जहाँ जल के संकलन हेतु "बैल्ट फिल्टरिंग" वायु प्रदूषण को रोकने हेतु प्रत्येक ड्रोपिन पीइटर पर "स्टेक हाउस" एवं ट्रांस्फर पीइटर पर "वेग फिल्टर" का निर्माण किया गया है, तथा वॉशिंग तकनीक "वेट प्रोसेस तकनीक" एवं जल के "सुन्य निस्कारण" पद्धति के अन्तर्गत पर निर्मित किया गया है जहां से किली भी प्रकलन से जल अथवा वायु प्रदूषण नहीं होगा। परिष्कृत वाहनों के काले पर नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त प्रस्तुत तकनीक से जल व वायु प्रदूषण से रोकथाम होगी, और कोई विचलित प्रभाव नहीं पड़ेगा।
प्रकृति से सिलवाहद तथा चंद्रमाह का नदीका पूरे किल में कोयला मलामती के रूप में रोक है। कुछ वातावरण पर / जीव-जंतुओं के लिये आवागमन है। जिससे चंद्रमाह करने से वातावरण में बुरा प्रभाव पड़ेगा।	संघर्षित कोलवाहरी राम, पर्यावरण संरक्षण मंडल के समस्त नियमों का पालन कर्ता हुए निर्मित हुई है, तथा प्रकृति के साथ किली की प्रकार से रोक रोक नहीं किया गया है, बल्कि नदीवाह संकलन हेतु 50 प्रतिशत कोयला से संपन्न पुकानीयन किया जा रहा है जो निरंतर जारी राधा है।

100

<p>कोल वाहरी द्वारा कोयला काटवियन / जर्मिन से अम्लजल सेच के कृषि भूमि पर कोयला के घुल से फसल उत्पाद हो रहा है। जर्मिन कोयला से बसा जा रहा है। अम्लजल के विनाशो द्वारा उत्पादन किया गया धान को कोयला के घुल से बसा करने सलकारी धान नहीं में धान नहीं खींचा जा रहा है। इससे अम्लजल के लोगों से आय के स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह मुद्दा समाधान में जल्द घोलने का काम कर रहा है। इसकी संवेचना को देखते हुए किसी भी परिस्थिति में पूर्व के और वर्तमान में विनाश के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं देना चाहिये।</p>	<p>एक संघटित कोल वाहरी "वेद प्रोसेस तकनीक" एवं जल के "सुन्द निस्कारण" पद्धति के अन्वय पर निर्मित किया गया है, जहां से किसी भी प्रकार से जल अथवा वायु प्रदूषण नहीं होगा। परियोजना वाहनों के रास्तों पर नियमित रूप से जल सिंचकाय की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त प्रयुक्त तकनीक से जल व वायु प्रदूषण से रोकथाम होगी, और कोई विनाश प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
<p>राज्यीय कार्यलय, कार्यलय संस्कार मंडल बिलासपुर एवं जिला प्रशासन, जाजरगीर-बांस के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिये जनसुनवाई दिनांक 19/03/2023 को हमारे पास कन्सर्टेड एवं प्रारम्भिक स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल को बंद कन्सर्टेड स्कूल परिवार में जनसुनवाई रखा गया था। परीक्षा का समय है, बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ विचारवाह किया गया है। अभी से हमारे पास की प्रति इनका प्रेषण ऐसा है जलर अनुभूति दे दी गयी तो बीसा होगा। संवीर विचारणीय प्रश्न है।</p>	<p>निरंक</p>
<p>कोल वाहरी से होने वाले प्रदूषण, धान को बसाव होगा, जर्मिन बंडल हो जायेगा, तलाव एवं कृषि का जल प्रदूषित होगा, हमारे भूमि / पटों पर इन्स्ट का फल विनाश जाना, बड़े वाहनों से रात में बड़ी दुर्घटना बंद जायेगी, बड़ी मशीनों एवं मशीनों का रात भर चलने की वजह से शक्ति प्रदूषण होगा जिससे वातावरण वायुमंडल में प्रदूषण फैल जायेगा। इसी जगात, जीव जंतु प्रदूषित जलवायु में जीने के लिये बाधा होगी।</p>	<p>एक संघटित कोल वाहरी "वेद प्रोसेस तकनीक" एवं जल के "सुन्द निस्कारण" पद्धति के अन्वय पर निर्मित किया गया है जहां से किसी भी प्रकार से जल अथवा वायु प्रदूषण नहीं होगा। परियोजना वाहनों के रास्तों पर नियमित रूप से जल सिंचकाय की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त प्रयुक्त तकनीक से जल व वायु प्रदूषण से रोकथाम होगी, जिससे किसी तथा अन्य पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
<p>जिला प्रशासन व पर्यावरण संस्कार मंडल द्वारा निरंक जनसुनवाई में प्राकानों की दरकिनार कर रखी</p>	<p>निरंक</p>

<p>प्रयोग के समर्थन के लिये सुबह 11.00 बजे शुरुआत कर दोपहर 1.00 बजे बंद कर दिया गया। दोपहर 1.30 बजे तक जनसुनवाई स्थल पर कोई भी अधिकारी नहीं थे। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में सोची समझी रणनीति थी। सिर्फ दिखावा करने के लिये जनसुनवाई करायी गयी थी।</p>	
<p>मेरठ महावीर कोल वाहणी मुख्यालय तीन दशक लगाव्याप मार्गिन के पीछे, व्यापार विहार, बिलासपुर के द्वारा राम कन्दाईबंद तहसील - जालन्धर में बिना पर्यावरणीय रबीकृति, स्थापना सम्पत्ति प्राप्त किए सार्वजनिक भूमि खसरा नंबर 88/1 जो घाटगाह, गोखान, खोल के मैदान एवं अन्य विस्तार प्रयोजन के लिए आवंटित की लिये सी.एस.आई.सी.सी. के औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरण किया गया है एवं अन्य रानीयों की निजी कृषि भूमि लिये वैकल्पिक भूमि के रूप में खसरा नंबर 88/1 के जगह सी.एस.आई.सी. सी. को हस्तांतरण हेतु संजीकृत कराया जा चुका है तथा कुछ अन्य रानीयों की कृषि भूमि लिये कृषि प्रयोजन हेतु खरीदा गया था और उसे औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटन कराया गया है में कोल वाहरी, भवन, बोल्डर, गड्ढे, मार्ग, रेलवे लाईन्, साइडिंग का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं भारतीय रेलवे को गुप्तता कर उनके सहयोग से बिजली कनेक्शन लेकर किया जा चुका है। और प्रस्तावक के द्वारा भूमि आवंटन या आवंटन कराये बिना ही निर्माण कार्य पूरा किया गया है। जिसकी विस्तारत सभी को लगातार किये गये है।</p>	<p>मेरठ महावीर कोल वाहरीज ज. लि. को CSIDC तहसील औद्योगिक प्रयोजनार्थ 17.28 एकड़ भूमि का अधिपत्य प्राप्त हुआ है, जिसका खसरा नंबर 88/10 व 88/11 है, जिस पर वैधानिक तरीके से ज.प. विद्युत मंडल द्वारा बिजली कनेक्शन प्रदान की है। प्रकृष्ट रेलवे साइडिंग हेतु CSIDC तहसील से रेलवे साइडिंग प्रयोजनार्थ 5.00 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, तथा संघ निधि भूमि का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनार्थ "टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग" से किया गया है। उपरोक्त भूमि का अधिपत्य प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, जिसकी प्राथमिक सूचना राम पंचायत व सम्बंधित विभागों को दी गयी थी।</p>
<p>यह उल्लेख करना उचित होगा कि निजी भूमि क्रय करने के समय अपनी सहमति से भूमि क्रय करने संबंधी शासन की नीति का पालन नहीं किया गया है।</p>	<p>आपकी सहमती का निधम निजी भूमि के खरीदे बिना पर किसी प्रकार से लागू नहीं होता है। निजी भूमि का क्रय करने के लिए आपकी सहमती का निधम भूमि के अधिपत्य करने की स्थिति में लागू होता है।</p>
<p>राजस्व विभाग के द्वारा भूमि आवंटन एवं सार्वजनिक भूमि आवंटन</p>	<p>निर्णय</p>

<p>करो समय जनपद सिंह विस्वद योजना सरकार में जारी मानवीय बुनियादी ढांचे के निर्माण विधान विभाग की भूमि की किराई अन्य प्रयोजन से उपयोग/अवरोधन या खाने का स्पष्ट आदेश है, की अवरोधना की गई है।</p>	
<p>उद्योग प्रबंधन की कृषि भूमि एवं सामाजिक भूमि का एक बड़ा हिस्सा की आवश्यकता की तो शासन से पूर्व अनुमति लेवन पुनर्वास नीति का पालन करते हुए जमीन की खरीदी करना चाहिए या विकल्प पालन नहीं किया गया है। नींव के भोजेनाले विधानों की गुमराह कर कृषि प्रयोजन के लिए बहाकन रजिस्ट्री कराई गई है जिससे शासन के राजस्व आय को नुकसान पहुंचाया गया है। वर्ष 2018-19 से जमीन की खरीदी की जा रही है जबकि जिला जंजगीर घोषा के अनेक विभाग से निर्देश कोल साइडिंग के लिए आपत्ति / अनुरोध / अनिमत प्राप्त किया गया है। वर्ष 2018 में राम पंचायत कन्स्ट्रिक्ट में उनके नाम पर कोई भी भूमि नहीं की जो गुमराह कर अनिमत प्राप्त किया गया है।</p>	<p>वर्ष 2018 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ सामाजिक भूमि के अवरोधन हेतु "वैधानिक सहमती" का पत्र उद्योग संभालाय रायपुर से पत्र क्र. 49/आर्.वि.क./पू.अ./2018/888 रायपुर दिनांक 08 जनवरी 2018 एवं पत्र क्र. 38/आर्.वि.क./पू.अ./2018/13418 रायपुर दिनांक 29 जून 2018 के शासन से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (विले साइडिंग) एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ (कोल वातवी) हेतु प्राप्त हो हुआ था जिसके आधार पर प्रस्तावक द्वारा कार्रवाई बनाती हुए आगे की कार्यवाही शुरू की थी। प्रस्तावक द्वारा सभी कार्य विधानानुसार वैधानिक तरीके से ही किया गया है, तथा वर्तमान एवं भविष्य में भी विधि अनुसृत ही कार्य चिन्ते जायेंगे।</p>
<p>प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) पर्यावरणीय प्रभाव मॉडिफिकेशन 2008 के निर्माण करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत स्थापना समिति संघालन समिति प्राप्त करने संबंधी नियम की अवरोधना करते हुए निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।</p>	<p>प्रस्तावक द्वारा सभी कार्य नियमानुसार वैधानिक तरीके से ही किया गया है, तथापि समिति प्रति के उपरोक्त विधान की सूचित करते हुए ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था।</p>
<p>विभिन्न सामवांसिदों के द्वारा क्लिफ्ट करने के बावजूद जलीबागड़ शासन के राजस्व विभाग, खनिज विभाग, उद्योग विभाग पर्यावरण विभाग एवं केंद्र सरकार से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है और नियम कानून का पालन बनाया जा रहा है।</p>	<p>निर्दिष्ट</p>

11

0

<p>यह कि जनवरी 2020 में सिलवत प्रस्तुत होने के बाद परियोजना प्रस्तावक ने राज्य स्तर विशेषज्ञ संकेत समिति एवं राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निदेशन समिति, ज.प. एवं राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संज्ञक रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्थल पर कोई निर्माण नहीं होने संबंधी झुठे लख देकर टी.ओ.आर. दिनांक 13/08/2020 को प्राप्त कर लिया है।</p>	<p>प्रस्तावक द्वारा सभी कार्य निम्नानुसार वैधानिक तरीके से ही किया गया है।</p>
--	--

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तार प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at Govt. higher secondary school Village- Jarwa	
			Plantation work	3.23
			Total	3.23

20. टी.ओ.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहायता पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. टी.ओ.आर. की राशि के तहत स्कूल परिसर के भीतर (बग, पीपल, नीम, खैर, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पीपल के लिए राशि 8,000 रुपये, पेंसिल के लिए राशि 80,000 रुपये, खार के लिए राशि 750 रुपये, सिंघाई (घाटर डिफेंसिव सिस्टम) के लिए राशि 30,400 रुपये तथा रक-रखाव के लिए राशि 37,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,54,750 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,87,400 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु खटखान व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल वाशरी क्षमता हेतु कम जल की सखता के लिए स्वयीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 0.89 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल वाशरी के लिए पानी की आवश्यकता 280 घनमीटर प्रतिदिन थी, जो 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल वाशरी के लिए बढ़कर 410 घनमीटर प्रतिदिन हो गई। यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से वंशित क्षमता के अनुपात में नहीं है:-

- वाशरी क्षमता 20 घंटे तक काम कर रही है, इसलिए व्यर्थक घास वाले विकरल सहित पूरे वाशिंग सर्किट से वायीकरण का नुकसान कम है।

- कोल वाशरी को 20 घंटे तक लगातार चलाने से साइक्लोन को वर्गीकृत करने की क्षमता में सुधार होता है, जो अनुस्यूत भी हो जाता है, जिसकी परिणामस्वरूप वीरड कोल एवं रिजेक्ट कोल में सतह की नमी कम हो जाती है।
- जब प्रक्रिया लंबी अवधि के लिए संचालित की जाती है तो वॉलिंग सर्किट में विचार कम हो जाता है।
- उद्योग में कोयले की वॉलिंग में स्ट्रक्चर को एक एम विशेषज्ञता प्राप्त की है क्योंकि उद्योग द्वारा लगभग एक इंच से अन्य वाशरियों का संचालन कम रहे हैं। उच्च क्षमता का बेल्ट फिल्टर प्रेश का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो धूलें हुए कोयले में सतह की नमी को और कम कर देगा।
- वॉलिंग की बढ़ती क्षमता के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अतः धूलें जल की सतह में केवल आंशिक वृद्धि हो रही है।
- कोल हैंडलिंग क्षेत्र में फल्ट संचालन के लिए एस्टीमेट से उल्खरित जल का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा।
- 20 घंटे तक लगातार संचालन के कारण प्रक्रिया लंबी अवधि के लिए अनुस्यूत हो जाती है और वॉलिंग के जल के विभिन्न गुणों को बनाए रखते हुए निरुक्त गुणवत्तापूर्ण कोयले को रिजेक्ट से अलग करना संभव है। इस तरह वॉलिंग वाटर का उपयोग कम से कम होता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वांगमूर्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मेसर्स महावीर कोल वीरवीर प्रॉजेक्ट लिमिटेड को धान-कन्दाईबंद, लखीसैल-जालगीर, जिला-जालगीर-घांस स्थित बरसात कर्मक 05/10 व 05/11 में कुल क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर (17.28 एकड़) में संचालित कोल वीरवीर क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु एमिडिब्लू-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग पत्र प्राप्त कर एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में अनिर्धार रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें अनुमति की जाती हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स एमार्ट सिटी अपार्टमेंट्स (अविनाश मिल्स), धान-मेजबदार, लखीसैल व जिला-रायपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2282)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एच.आई.ए./ सीजी/ इन्फ्रा/ 424775/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - अनिर्धारित प्रस्तावक द्वारा धान-मेजबदार, लखीसैल व जिला-रायपुर स्थित प.ह.न. 82, कुल क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन हेतु एमिडिब्लू अपार्टमेंट प्रॉजेक्ट टोटल क्लियरिंग एरिया-28.025

वर्गमीटर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत ₹4.11 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 885वीं बैठक दिनांक 22/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श चरणों सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर अनुमिष्टाति से अचनात करने हेतु श्री विजय सिंह शुभ, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करनी तथा अवगत स्थिति से अचनात करनी हेतु कलरमुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित विन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री विजय सिंह शुभ, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. **मैसर्स दिलीप विजयसोन लिमिटेड (एन.बुद्धा आर्किटेक्ट स्टोन टेम्पलरी परमिट क्वारी(1)),** ग्राम-एन.बुद्धा, तहसील-नगरलीड, जिला-बनारसी (सचिवालय का नमती क्रमांक 2384)

जीनसलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजे / एनआईएन / 424308 / 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित संचालन पथर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-एन.बुद्धा, तहसील-नगरलीड, जिला-बनारसी स्थित प्लॉट अंक खतरा क्रमांक 328/1, 328/2, 328/3, 328 एवं 330, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-1,00,000.13 टन (40,000.25 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 885वीं बैठक दिनांक 22/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Basarwahi Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 59+500 under Raipur-Vishakhapatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)." जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स दिल्लीप क्लियरिंग लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के मध्य सड़क निर्माण के लिए दूधे एचएमटी की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन की संकेत में ग्राम पंचायत झंझरखंड का दिनांक 28/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — टेम्पटरी प्लानिड क्वार्टी प्लान, इन्फ्रामरीनेट वेनेजमैट प्लान एण्ड क्वार्टी ब्लेज्जट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बहार-संकेत के द्वारा क्रमांक 488/खनिज/उत्तर.ब.अनु./उ.प./2022-23 कांवेन, दिनांक 12/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 2101/खनिज/अ.उत्तर.अनु./2023 धमारी, दिनांक 22/03/2023 को अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 2102/खनिज/अ.उत्तर.अनु./2023 धमारी, दिनांक 22/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सतत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, बसिजद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र स्थित नहीं है। सतत 100 मीटर की दूरी पर है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. मेसर्स दिल्लीप क्लियरिंग लिमिटेड, रोमाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 1981/खनि/अ.उत्तर.अनु. 2023 धमारी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. भू-साक्षि — भूमि सारवा क्रमांक 328/1 बीमडि सुडीला, सारवा क्रमांक 328/2 एवं 328/8 बी डिगसिंग, सारवा क्रमांक 328 एवं 330 बी गंधरुतम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनी के अनुकेत पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, धमारी वनमन्त्राल, जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक /वा.वि./जी/4889 धमारी, दिनांक 04/10/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निष्कलम वन क्षेत्र की सीमा से 480 मीटर की दूरी पर है।

11. महात्मा पूर्ण बाँसनाडी की दूरी – निकटतम आवासीय घास-घनकुड़ा 350 मीटर, स्कूल घास-घनकुड़ा 550 मीटर एवं अस्पताल घासारी 23.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 35.35 कि.मी. दूर है। पर्यटन नदी 550 मीटर, नाला 1.55 कि.मी., नहर 1.50 कि.मी. एवं तालाब 210 मीटर दूर है।

12. परिसिन्धुतिक्षीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परिषेजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इतिरिक्ती पील्लुटेड एरिया, परिसिन्धुतिक्षीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

13. खाना संभरणा एवं खाना का विवरण – विद्योलीयिकता रिजर्व 2,75,000 टन (1,10,000 घनमीटर), नार्मल रिजर्व 1,42,787 टन (57,915 घनमीटर) एवं रिजर्वेड रिजर्व 1,35,845 टन (54,259 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,737.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,075 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर एवं मात्रा 5,212.5 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रीम्य व बम्ब मिनीय तथा पट्टीय मार्ग के रक्त-संश्लेष में किया जाएगा। रीम्य ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सतहति प्राप्त धुनि (ऊपरी कक्षांक 250/1, 250/2 व 250/3, क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर) में सम्भरित कर संश्लेषित रखा जाएगा। रीम्य की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभरिता आयु 52 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डैमर से डिडिग एवं कंट्रोल स्थानित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिड्काय किया जाएगा। सर्वथा प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,023.13
द्वितीय	35,268.75
कुल	1,35,291.88

14. जल आपूर्ति – परिषेजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेक्टर हाउसिंग बोर्ड अर्डीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।

15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में पानी और 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। परिषेजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (सपथे)	द्वितीय वर्ष (सपथे)	तृतीय वर्ष (सपथे)	चतुर्थ वर्ष (सपथे)	पंचम वर्ष (सपथे)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु	50,000	50,000	-	-	-

परिष्कारण के दौरान सड़कों/घटुंगे मार्ग से उत्पन्न कुल परेशानी के निराकरण हेतु जल सिंचन						
खदान के बाउण्ड्री में (5000 मग) कुआरोपम हेतु	कुआरोपम (50 प्रतिवस्त जीवन दर) हेतु राशि	60,500	—	—	—	—
	पंक्तिग राशि हेतु	60,500	—	—	—	—
	खाद राशि हेतु	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150
	मिचवाई एवं रस्स-रखाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,81,500		3,30,860	2,20,180	1,70,150	1,70,150	1,70,180

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के कार्य विस्तार से चर्चा अंतर्गत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Middle School Village- Pahanda	
			sanitary ware, Toiletries, Drainage work and installation	0.10
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Plantation	0.32
			Total	0.52

18. सीईआर के तहत स्कूल परिसर में कूआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नए पीछों के लिए राशि 300 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 7,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रुपये हेतु षट्कालीन खाद का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
19. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान आगरे द्वारा दिये सभी दिशा निर्देशों के परिपालन में मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्माण मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड भोपाल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आवेदित खदान से निकलने वाले अपरि मिट्टी एवं ओवर बॉन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री पंच कुमार, श्री भूषण लाल एवं श्री रीतम का सहमति बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आवेदित खदान को 7.5 मीटर की हवित पट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए कूआरोपन किया जाएगा। उचित पीछों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संबंधित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सीईआर प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए मानवीय समिति के सत्या प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटीफास एवं B.M.L, फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के घालन प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगरे द्वारा भी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूँगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. अपरि मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेप्टी जोन में 1 मीटर ऊँचाई तक संकलित कर संग्रहित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुसंयोग न करने, बिलय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को जगह निरीक्षण/घमन के दौरान निरीक्षण करते जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खनिजन का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंस होल्डर (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. अतीरण्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से न्युनितिव इन्स्ट लासर्जन होना, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सख्त वृक्षादेयन किये जाने एवं रोपित पौधों का सत्याईफल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बरम्बूड़ी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का बहाव प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस क्षेत्र में संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलोकन का प्रकरण ललित नहीं है।
34. नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विना निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षादेयन कार्य के सनिटलिंग एवं परिक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामसईटर/प्रतिनिधि, वाम पंथागत के सदस्यिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्जीनियर पर्यावरण संरक्षण मन्डल के सदस्यिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षादेयन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
37. नाननीय एन.जी.टी., डिमिणल बेच, नई दिल्ली द्वारा सलपेट सान्देय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अडिजनल प्लिबेशन नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बगलही के द्वारा जमांक 2101/खनिज/अ.राज्य.अनु./2023 बगलही, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-बनबुड़ा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बनबुड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघलित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का सबसे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिल्ली बिल्डकींग लिमिटेड (बनबुड़ा आर्बिन्टी स्टोन टेम्पलरी परमिट जारी(1)) को घाम-बनबुड़ा, तहसील-मगरलौड़, जिला-बगलही के पार्ट ऑफ खतरा जमांक 328/1, 328/2, 328/8, 329 एवं 330 में विस्तार साधारण पाथर (पीग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर 2 वर्ग में कुल क्षमता - 1,36,291 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.), चलीसगढ़ को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. मेसर्स दिल्ली बिल्डकींग लिमिटेड (बनबुड़ा आर्बिन्टी स्टोन टेम्पलरी परमिट जारी(2)), घाम-बनबुड़ा, तहसील-मगरलौड़, जिला-बगलही (सविद्यालय का नली जमांक 2385) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एनआईए / सीजी / एनआईएन / 424430 / 2023, दिनांक 05/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पाथर (पीग खनिज) खदान है। खदान घाम-बनबुड़ा, तहसील-मगरलौड़, जिला-बगलही स्थित खसरा जमांक 328/2(पार्ट) एवं 328/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रस्तावित क्षमता-1,00,048.88 टन (42,018.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.ए., चलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 22/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा " Six Lane Bergi Basanwahi Section of NH-139-CD Road from km 42+800 to km 99+500 under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode

(Package CG-2)." जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स दिल्लीय बिल्डर्स लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के मध्य सड़क निर्माण के लिए दूधे एवीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत झाड़नकेवा का दिनांक 29/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — टेम्परेरी परमिट क्लारी प्लान, इन्वायस्टमेंट केनेजमेंट प्लान एम्ब क्लारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एच-संचालक (ख.प्र.) जिला-उत्तर बस्तर-कार्गन के यू. ड्राफ्ट क्रमांक 488/खनिज/उत्तर.पी.अनु./ख.प्र./2023-23 कांसेर्, दिनांक 13/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बमतारी के ड्राफ्ट क्रमांक 2105/खनिज/अ.उत्तर.अनु./2023 बमतारी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बमतारी के ड्राफ्ट क्रमांक 2106/खनिज/अ.उत्तर.अनु./2023 बमतारी, दिनांक 23/03/2023 द्वारा जारी ड्राफ्ट पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. मेसर्स दिल्लीय बिल्डर्स लिमिटेड, भोपाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बमतारी के ड्राफ्ट क्रमांक 1947 /खनि /अस्थायी उत्तर. अनु.अ /2023 बमतारी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी मीमांसा जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. भू-स्वामित्व — भूमि खसरा क्रमांक 328/2 की डिपॉजिट एवं खसरा क्रमांक 328/3 की मदन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसम्बलधिसारी, बमतारी वनसम्बल, जिला-बमतारी के ड्राफ्ट क्रमांक /म.वि./जी/4889 बमतारी, दिनांक 04/10/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 480 मीटर की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय धाम-बनदुड़ा 480 मीटर, स्कूल धाम-बनदुड़ा 880 मीटर एवं अस्पताल बमतारी 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 35.3 कि.मी. दूर है। पर्वत शिखर 730 मीटर, नाला 1.8 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं तालाब 280 मीटर दूर है।

12. परिस्थितीय/जेवविधिता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरावती, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिचिकली पॉन्डुटेक एरिया, परिस्थितीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जेवविधिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

13. खनन संयोज एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 2,75,000 टन (1,10,000 घनमीटर), गार्नेटल रिजर्व 1,33,082 टन (53,228 घनमीटर) एवं सिक्वेट्रेल रिजर्व 1,28,408 टन (50,583 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,225 घनमीटर है। औपम कास्ट सीमा रेवेन्यू/रॉड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,883.75 घनमीटर है, जिसमें से 1,131 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर कृषोपयोग किया जाएगा। औपर बर्डेन की मोटाई 0.75 मीटर एवं मात्रा 5,081.25 घनमीटर है, जिसमें से अनुमानानुसार औपर बर्डेन का उपयोग रैम व बम्ब निर्माण तथा पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। क्षेत्र ऊपरी मिट्टी एवं औपर बर्डेन को लीज क्षेत्र के बाहर सड़क/ब्रिज/बुनियादी ढांचा पुनः (घनता क्रमिक 280/1, 280/2 व 280/3, क्षेत्रफल 1,500 घनमीटर) में सम्मिलित कर संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर है। खदान की घोषित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमल से ड्रिलिंग एवं कटौल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रकाव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,048.88
द्वितीय	28,291.25
कुल	1,28,338.13

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोम्बेस के माध्यम से की जाएगी। सू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. कृषोपयोग कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 808 मीटर कृषोपयोग किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण रोकथाम के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु खनन के दौरान गड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रकाव	50,000	50,000	-	-	-

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

खदान के बाज्यूरी में (838 मग) कुआरेभन हेतु	कुआरेभन (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,600	—	—	—	—
	परिधि हेतु राशि	83,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
	सिंचाई एवं पत्र-पत्राव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 10,76,100		3,38,800	2,21,800	1,71,800	1,71,800	1,71,800

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में सखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सखनन कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Kawradih	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation & Amins	0.10
Total			0.60	

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान जायके द्वारा दिये सभी विश्व निर्देशों के परिचय में केवल दिल्ली विस्वासीन लिमिटेड, भोपाल के पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्देश केवल दिल्ली विस्वासीन लिमिटेड

भेद्यता को पूर्णतः मान्य होना। इस आशय का सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित खदान से निकलने वाले ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए वी पत्र कुम्हार, वी प्रथम ताल एवं वी रोशन का साझाता बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आवेदित खदान के 7.5 मीटर की इरिट चट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए कुशलरोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.ओ.ए. इन्फोर्मल वी राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए मानवीय समिति को सन्तुष्ट प्रस्तुत किये गए इन्फोर्मल में ही खर्च किये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटेशन एवं KMS, फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के प्राप्ति प्रतिक्रिया में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगके द्वारा वी गई अनुशासनसम्बन्ध/कैथनिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूँगा। इस आशय का सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर रोपटी जोन में 1 मीटर ऊँचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का पुनःसंयोजन न करने, मिश्रण न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसंयोजन हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/जनन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. एक्सप्लोसिव का कार्य डी.डी.एन.एस. द्वारा अधिकृत लिसेन्सहोल्डर लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. कालीसगढ़ खदानों पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना के दिन-दिन कार्यों से पशुवैदिक इस्ट चलाये जा रहा है, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन कुशलरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सलाईविल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानिक नियमों के तहत बायस्कोपी लिसेन्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का ब्याज प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई जलसंधन का प्रकरण लंबित नहीं है।
33. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India एवं petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विरा निदेशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरौपन कार्य को सैनित्वीय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (सोपटाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्फॉर्मेटिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरौपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
36. माननीय एन.डी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एपिलीकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पणित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. सर्वोच्च कोलेक्टर (अभिलेख शाखा), जिला-धमतरी को डायन क्रमांक 2105/अभिलेख/अ.उत्ख.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनहुडा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बनहुडा) की मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल

सेक्टर 5 सेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।

2. समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेरठ दितीय विद्युत्वीन लिमिटेड (एनयूडा अर्जिनरी स्टोन टेम्पली परमिट क्वारी(2)) को ग्राम-बनकुडा, तहसील-नगरलोड, जिला-बनारसी के खसत क्रमांक 328/3(पार्ट) एवं 328/3(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल सेक्टर-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,28,328 टन से अधिक न हो, हेतु प्रतिशत-03 में समित्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेरठ दितीय विद्युत्वीन लिमिटेड (एनयूडा अर्जिनरी स्टोन टेम्पली परमिट क्वारी(2)), ग्राम-बनकुडा, तहसील-नगरलोड, जिला-बनारसी (साधारण पत्थर का नमूना क्रमांक 2087) डीनलार्डन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 424447 / 2023, दिनांक 05/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बनकुडा, तहसील-नगरलोड, जिला-बनारसी में स्थित प्लॉट क्रमांक 328/2, 328/3, 328/8 एवं 329, कुल सेक्टर-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-1,00,011.25 टन (40,004.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 05/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 22/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमूने, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (National Highways Authority of India) के पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Bazarwahi Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 99+500 under Raipur-Vaishwanath Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)" जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेरठ दितीय विद्युत्वीन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (National Highways Authority of India) के साथ सड़क निर्माण के लिए टुडे एग्जिमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम बंधवत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन के संबंध में ग्राम बंधवत आग्रहकार का दिनांक 29/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** - टेम्पलेट वर्तमान क्वार्टी प्लान, इनक्वार्टरीमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वार्टी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संघटक (ख.प्र.), जिला-कलार बरतन-कांठीर के पु. ज्ञापन क्रमांक 404/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./उ.प./2022-23 क्रमांक, दिनांक 13/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2103/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सेक्टर** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2104/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 22/03/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.ए.सी. कैंप एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। सड़क 100 मीटर दूर है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई. मेसर्स दिव्येय विस्कायिंग लिमिटेड, सोपारा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1949/खनि/उत्ख.पौ.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपल जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. **भू-स्वामित्व** - भूमि खसरा क्रमांक 328/3 एवं 328/8 की डिनॉमिंग, खसरा क्रमांक 328/3 की मालक एवं खसरा क्रमांक 328 की मालिकता मॉड के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/ख.वि./जी/4889 धमतरी, दिनांक 04/10/2022 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार अर्जित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 400 मीटर की दूरी पर है।
11. **सड़कपूर्व संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी राम-धनबुद्ध 400 मीटर, स्कूल राम-धनबुद्ध 600 मीटर एवं अस्पताल धमतरी 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 64 कि.मी. एवं राजमार्ग 362 कि.मी. दूर है। पर्व नदी 830 मीटर, बाला 1.5 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं ताताब 240 मीटर दूर है।
12. **परिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अणुसंरक्षण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वार्टरी पीएनयूटीए सुरक्षा, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
13. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** - विद्यमान खनन रिजर्व 2,75,000 टन (1,10,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,48,000 टन (58,400 घनमीटर) एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 1,38,700 टन (58,480 घनमीटर) है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल गांजा 1,750 घनमीटर है, जिसमें से 1,082 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रेषित क्षेत्र) में पीटाकर कृशरीपण किया जाएगा। जोवर बर्देन की मोटाई 0.75 मीटर एवं गांजा 5,250 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार जोवर बर्देन का उपयोग रैम ड बम्ब निर्माण तथा पहुँच मार्ग के रूढ़-रूखाव में किया जाएगा। दोष ऊपरी मिट्टी एवं जोवर बर्देन को लीज क्षेत्र के बाहर सड़कति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 280/1, 280/2 व 280/3, क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर) में मण्डलित कर संभलित रूढ़ा जाएगा। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभलित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खतरा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र से डिजिटिंग एवं संप्लेज स्थापित किया जाएगा। खदान में बन्दु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,011.25
द्वितीय	28,581.88
कुल	1,28,593.13

14. जल आपूर्ति - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सोरसेल के माध्यम से की जाएगी। सू-जल की उपयोक्तता हेतु सेंट्रल राज्यस्य बीटर अधीनस्थ की आपूर्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. कृशरीपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 381 नव कृशरीपण किया जाएगा। परिवहन प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिद्धकाय	60,000	60,000	-	-	-
खदान के बाहरगद्दी में (381 नव) कृशरीपण हेतु	59,100	-	-	-	-
डिजिटिंग हेतु	50,000	-	-	-	-
खतरा हेतु	29,580	29,580	29,580	29,580	29,580

सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,58,850	3,28,650	3,19,550	1,69,550	1,69,550	1,69,550

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उखनन - लीज क्षेत्र के बाहरी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उखनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिषद्/जमा इन्सायक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Bodalbahara	
			Running water arrangement & drainage work, Toiletries in toilet	0.40
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Total	0.50

18. सीईआर के उद्देश्य प्रभावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परिषद्/जमा इन्सायक द्वारा इस परिषद्/जमा के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान अपने द्वारा दिये सभी दस्तावेजों के परिच्छेद में मेसर्स दिल्ली विन्डरवॉन लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्णय मेसर्स दिल्ली विन्डरवॉन लिमिटेड भोपाल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. आवेदित खदान से निकालने वाले कच्ची मिट्टी एवं ओखर बर्तन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री पंच कुमार, श्री भूषण साह एवं श्री रोहान का सहमति वाक्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आवेदित खदान के 7.5 मीटर की दूरी पट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करके हुए कुआरिंगन किया जाएगा। रचित पीछे का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करके हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संबंधित सुविधा

किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की शक्ति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए वातावरण सभ्यता के सम्बन्ध प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कार्य किये गए शक्ति की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के तालिका प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी द्वारा दी गई अनुसन्धानात्मक/वैज्ञानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूँगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अन्दर सेप्टी ज़ोन में 1 मीटर ऊँचाई तक संशोधित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विह्वल न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. फ्लैमिंग का कार्य डी.डी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. उत्तरीकरण्ड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिवोजना से दिन-दिन सड़कों से पशुवैद्यिक अन्त उत्तरावर्ध होना, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचनार्थ की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अन्दर सड़क क्लेयरिंग किये जाने एवं संयुक्त पौधों का संवर्धन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री विल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
32. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

115

Q

33. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कवर्ड एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कवर्ड के सीनिटरीय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कवर्ड पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
36. माननीय एन.डी.टी., डिभिजनल वेज, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अॅरिजनाल एलिमेंशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को गठित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बगलही के ग्रामण्डल 2100/खनिज/अ.प.स.अनु./2023 बगलही, दिनांक 22/03/2023 से अनुमानित आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनबुड़ा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बनबुड़ा) की मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिल्ली सिन्क्रोनीज लिमिटेड (बनबुड़ा आर्बिन्स स्टील टेम्पलेरी परमिट क्वारी(3)) को ग्राम-बनबुड़ा, तहसील-बगरलोड, जिला-बगलही के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 328/2, 328/3, 328/8 एवं 329 में स्थित साधारण पथन (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,883 टन से अधिक न हो, हेतु परमिट-04 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसमग्र की तदनुसार सुचित किया जाए।

9. मेसर्स विलीम विल्डर्सोन लिमिटेड (एमडब्ल्यू आर्किटेक्चर स्टोन टेम्पलरी परमिट न्यारी(4)), ग्राम-धनकुड़ा, तहसील-मण्डली, जिला-धमतरी (सविवालय का नक्सी क्रमांक 2288) जीनरल आर्किटेक्चर - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए / सीजी / एमआईएन / 424464 / 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण गार्डर (सील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धनकुड़ा, तहसील-मण्डली, जिला-धमतरी में स्थित पार्सल नंबर क्रमांक-328/2 एवं 328/3, प्लॉट क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदानन क्षमता-1,00,070.83 टन (40,028.25 मन्हीटर) प्रतिवर्ष है।

खदानधार परिषदेका प्रस्तावक को एचआईएसी, चलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/08/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 22/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/03/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Basarwah Section of NH-130-CD Road from km 42+500 to km 99+500 under Raipur-Vaishkopatham Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CO-2)." जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स विलीम विल्डर्सोन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के नया सड़क निर्माण के लिए दूरे एरीयेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र - खदानन के संबंध में ग्राम पंचायत साइनसेला का दिनांक 29/08/2022 का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. खदानन योजना - टेम्पलरी परमिट न्यारी प्लान, इनसापटेरीट मेनेजमेंट प्लान एचआईएसी स्वीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-संजयलक (ख.प.), जिला-राजतर बस्तर-बाकेर के पु. द्वारा क्रमांक 490/खनिज/उत्ख.वी.अनु./स.प./2022-23 बाकेर, दिनांक 13/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक 2107/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संजयलक - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक 2108/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमतरी, दिनांक 22/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद,

बनारस, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निम्न नहीं है।

7. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण - एल.ओ.आई, मेसर्स दिल्ली विन्डरसन लिमिटेड, भोपाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (अभिज्ञ साधा), जिला-बनारस के द्वारा क्रमांक 1883/समि/असाधी साधा, अनुक्र/2023 धनारी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी शिफा जारी दिनांक से 8 महीने की अवधि तक है।
8. भू-स्वामित्व - भूमि खासा क्रमांक 328/2 की हिरासिंग एवं खसरा क्रमांक 328/3 की खसरा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनतरी वनमण्डल, जिला-बनारस के द्वारा क्रमांक/स.सि./जी/4889 धनारी, दिनांक 04/10/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 480 मीटर की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी वाम-बनबुड़ा 580 मीटर, स्कूल वाम-बनबुड़ा 740 मीटर एवं अस्पताल वनतरी 23.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 545 कि.मी. एवं राजमार्ग 35.3 कि.मी. दूर है। पर्वत नदी 710 मीटर, नाला 1.5 कि.मी., नहर 2.05 कि.मी. एवं तासाब 370 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइण्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
13. खान खोदा एवं खनन का विवरण - डिप्लोमेटिकल रिजर्व 3,78,000 टन (1,10,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,43,482 टन (58,185 घनमीटर) एवं रिक्वारेबल रिजर्व 1,38,188 टन (58,278 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,025 वर्गमीटर है। खोद करत सेमी मेईनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल गांजा 1,743.78 घनमीटर है, जिसमें से 1,081 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कालखन कृतांतण किया जाएगा। ओवर बर्जन की मोटाई 0.75 मीटर एवं गांजा 8,331.25 घनमीटर है, जिसमें से आवापक्षानुसार ओवर बर्जन का उपयोग रैपिड व लॉज निर्माण तथा राष्ट्रीय मार्ग के बस-स्टॉप में किया जाएगा। बीच ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्जन को लीज क्षेत्र के बाहर सड़कनिष्ठ प्राथम भूमि (खासा क्रमांक 280/1, 280/2 व 280/3, क्षेत्रफल 2,320 वर्गमीटर) में संचालित कर संचालित रखा जाएगा। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रिपर से डिड्रिंग एवं कंट्रोल मरनिटिंग किया





जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलव जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,070.83
द्वितीय	38,083.13
कुल	1,38,153.96

14. जल आपूर्ति - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल पारम्परिक वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. कुसारीपन कार्य - जीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नम कुसारीपन किया जाएगा। परिवहन प्रस्तावक द्वारा जीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रभाव योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलव		50,000	50,000	—	—	—
खदान के बाउन्ड्री में (500 नम) कुसारीपन हेतु	कुसारीपन (90 प्रतिशत जीवन वर्ष) हेतु राशि	59,700	—	—	—	—
	सीमिन हेतु राशि	50,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	29,850	29,850	29,850	29,850	29,850
	शिफ्ट रूफ राख-रखाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,58,550		3,29,550	2,19,850	1,69,850	1,69,850	1,69,850

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - जीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवहन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Dhanbada	
			Donation of books related to Environment Conservation & Aidita	0.10
			Plantation	0.41
			Total	0.51

18. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 30 मग पीछों के लिए राशि 300 रुपये, छाव के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंकाई तथा सब-सखाव आदि के लिए राशि 10,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 28,000 रुपये हेतु गटलवार कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. परिवोजना प्रसाधक द्वारा इस परिवोजना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान आपके द्वारा दिये सभी विस्तार निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स दिल्लीय विल्डरजीन लिमिटेड, भोपाल को पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा लिखा गया निर्देश मेसर्स दिल्लीय विल्डरजीन लिमिटेड भोपाल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आवेदित खदान को निकलने वाले अपनी गिट्टी एवं खोखर बर्तन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री पंच कुमार, श्री मूलन लाल एवं श्री रीतन का सहमति समर्थ समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आवेदित खदान को 7.5 मीटर की इस्ति गट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पीछों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व सब-सखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में हो कार्य किये जाने का समर्थ समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. कार्य किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन

प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवकें द्वारा टी नई अनुसूचितजन/विधायिका कार्यवाही के लिए मैं कार्य नहीं करूंगा। इस आश्वासन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. कर्मचारी मिट्टी को जीव क्षेत्र के अंदर सेवटी ज़ोन में 1 मीटर लंबाई तक संक्षिप्त कर संक्षिप्त रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्षय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वापक हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/अपना के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. एक्सप्लोसिव का कार्य डी.जी.एन.एल. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. प्रदूषण नियंत्रण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से स्तुतिविक्रम कलक उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. माइनिंग जीव क्षेत्र के अंदर समर्थन पुनर्वापक किये जाने एवं संवित क्षेत्रों का संरक्षण/सुरक्षा रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्तुतिविक्रम नियंत्रण के तहत बाधकारी स्थलों द्वारा सौभाग्य का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का स्तुतिविक्रम जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संक्षण किये जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्फोट इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्फोट भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. भारतीय न्यायालय कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. भारतीय न्यायालय कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन कार्य के सीनिटिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-पब्लिक समिति (ओपनहाउट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीसमूह पर्यवेक्षण संस्थान मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-पब्लिक समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।

37. भारतीय एन.जी.टी., जिनियल बेच, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वायुमंडल विज्ञान विभाग, सर्वेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धनगढ़ी के द्वारा क्रमांक 2107/खनिज/अ.वा.स.अनु./2023 धनगढ़ी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-धनबुडा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धनबुडा) की मिलकर कुल सख्त 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - गैरर्स दिल्ली विन्डकोन लिमिटेड (धनबुडा आर्बिगरी स्टोन टेम्पली परमिट खारी(4)) की ग्राम-धनबुडा, तहसील-गण्डली, जिला-धनगढ़ी के फार्म ऑफ सख्त क्रमांक-328/2 एवं 328/3 में स्थित सामान्य पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल सख्त - 1,38,103 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एच.ई.आर्.ए.ए.), अतीसमूह को उपानुसार स्थित किया जाए।

10. गैरर्स दिल्ली विन्डकोन लिमिटेड (गौडलानाला आर्बिगरी स्टोन टेम्पली परमिट खारी(1)), ग्राम-गौडलानाला, तहसील-गणरी, जिला-धनगढ़ी (खनिजसख्त का नमूना क्रमांक 2388)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एच.ई.आर्.ए. / सी.ई. / एन.आर्.ई.ए. / 424568 / 2023, दिनांक 06/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सार्वजनिक स्थल (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान का नाम-बीदाबनाबाद, तहसील-बनरी, जिला-बनारसी में स्थित प्लॉट ऑफ खाना क्रमांक-15 एवं 16, ब्लॉक डीएचएल-1 हेस्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-67,883.13 टन (22,823.28 टनमीटर) प्रतिवर्ष है।

खदानधार परिशिष्टका प्रस्तावक को एचईएसी, प्रतीमागढ़ के ज्ञान विनांक 18/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 22/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Basarwah Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 59+500 under Raipur-Bhuxarpatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)," जारी बर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही नैसर्ग डिजीन विस्कायन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के मध्य सड़क निर्माण के लिए हुये एडीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-बनारसी के ज्ञान क्रमांक 2342/खनिज/अत्यापी उत्ख.अनु.अ/2022 बनारसी, दिनांक 18/06/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार "उत्खनि पट्टा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ओवरलैंडिंग प्राप्त ग्रीन खनिज के सम्बन्ध (साप्लॉट) के अंतिम भुगतान के बाद पर सार्वजनिक सड़क निर्माण में कानून हेतु परिष्कृत अनुमति प्रदान की जाएगी।" का उल्लेख है।
3. पूर्ण में जारी सार्वजनिक स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में सार्वजनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदरा का दिनांक 18/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन योजना – टेम्पलरी प्लॉट क्लॉसिंग प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैकेजमेंट प्लान एवं क्लॉसिंग क्लॉसिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम-संचालक (ख.प.), जिला-उत्तर बल्ल-बल्ल-बल्ल के पू. ज्ञान क्रमांक 488/खनिज/उत्ख.अनु./उ.प./2022-23 कांसेट, दिनांक 13/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-बनारसी के ज्ञान क्रमांक 2085/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2022 बनारसी, दिनांक 22/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, संकुल 3 ईस्टेयर है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-बनारसी के ज्ञान क्रमांक 2086/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2022 बनारसी, दिनांक 22/03/2022 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार जमा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद,

नरघट, अल्पातल, स्कुल, पुल, एरीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। समूह 200 मीटर दूर है।

8. भूमि एवं एल.ओ.आई, संसदी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई, केसरी डिजीन डिविजनों लिमिटेड, भोपाल के नाम पर है। एल.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (जगिज हाथा), जिला-बसतरी के डायन क्रमांक 1648 /बगि /अस्थापी कल्ल, अनुक्रा /2023 बसतरी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी किता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय, वन परिदेव अधिकारी, विन्गुडी सामान्य, जिला-बसतरी के डायन क्रमांक/माधि./जी/1933 विन्गुडी, दिनांक 17/08/2023 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 270 मीटर की दूरी पर है।
11. सार्वभूमि संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-गोदलानाला 350 मीटर, स्कुल ग्राम-गोदलानाला 500 मीटर एवं अस्पताल मण्डलीड 21.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.82 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। सतारिया नदी 3.50 कि.मी., नाला 2.05 कि.मी., नहर 1.85 कि.मी. एवं तालाब 250 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अजयगढ़, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंकली पील्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
13. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जिपसोडिजिटल रिजर्व 4,00,000 टन (1,60,000 घनमीटर), माईनेरल रिजर्व 91,775 टन (38,710 घनमीटर) एवं लिक्विड रिजर्व 87,188 टन (34,874 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,250 वर्गमीटर है। खोपन बरस्ट सेवी गेलेनार्डिज विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपटी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,887.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,140 घनमीटर खपटी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलकर पुनारोपण किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 7.75 मीटर एवं मात्रा 44,182.5 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रैम व बल्ड निर्माण तथा चूनि चार्ज के रख-रखाव में किया जाएगा। लीज खपटी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सहजता प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 18/1, क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर) में संचयित कर संरक्षित रखा जाएगा। रैम की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। डीक ईयर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में कबु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिडकाव जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उतखनन (टन)
प्रथम	57,080.13
द्वितीय	30,067.5
कुल	87,147.63

14. **जल आपूर्ति** – परिषदीयता हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जाएगी। पृ-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल इन्फ्रस्ट्रक्चर बोर्ड अर्बोसिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 842 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रमुख निबंधन हेतु परिवहन के दौरान साइकल/पट्टन चार्ज के रखरखाव वृत्त उत्सर्जन के निबंधन हेतु जल उपकरण		80,000	80,000	-	-	-
खदान के बालगुटी में (842 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिवत्त जीवन दर) हेतु रशि	64,200	-	-	-	-
	पोसिंग हेतु रशि	54,000	-	-	-	-
	खाद हेतु रशि	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
	सिंचाई एवं पंच-रक्षण हेतु रशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल रशि = 10,78,700		3,40,300	2,22,100	1,72,100	1,72,100	1,72,100

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उतखनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उतखनन कार्य नहीं किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

		Village- Conditions	
		Raining water arrangement & drainage work, Toiletries in toilet.	0.35
		Donation of books related to Environment & Conservation & Amins	0.10
		Total	0.45

18. सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहायता पत्र जलदा विध्वनित नया है।
19. न्यायपालक अनुविधानीय अधिकारी (हाजरी) बनरी जिला-धमढरी के द्वारा संख्यांक 1325/अ.वि.अ./2022 बनरी, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी अनुसंधान पत्र अनुसंधान संख्या नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, संख्या 1.94, 2.16, 2.33, 2.87, 2.21, 2.75 है, काम नवीकरणात्मक प.अ.न. 13 तहसील-बनरी, जिला-धमढरी विध्वनित कुल विभागीय प्रजाति- गाछ, बीजा, चन्दा, माल, हनु, कटोरी बसिंग, टेलु, हर्त, बेल, अंबाल, कुसुम, मोसदा, ककड़ा, सेन्डा, मोचन, कर्त, वाकडा, पीपल, ईमली भवराता, टिन्ना, बनलाजीर, जलुन, बोंडा, फाल, कुमी, मोचन, सेमल, रोहन, आम, महुआ एवं संख्या संख्या प्राकृतिक रूप से तारे कुल कुल- 583 में से सिर्फ 10 कुल एवं संख्या कुल कुल - 483 कुल नए साक्षीय कुल को छोड़ा गया है। कुल कुलों की संख्या - 473 नए होता है, जिसमें कटोरी टेलु जांच प्रतिक्रिया में विभाजित किया गया है, जो कटोरी जाने पर सहीता के किन्ही उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है। आ: एम.ओ.आनुसार कुल कटोरी की अनुसंधान अभियान की जाती है। का उल्लेख है।
20. बनरीय सर्वोच्च न्यायपालक के आदेश दिनांक 12/12/2022 के अनुसार किसी भूमि पर 200 कुलों प्रति हेक्टेयर का अधिक होने पर ऐसा क्षेत्र वन क्षेत्र की परिभाषा में आता है। समिति का मत है कि 200 कुलों प्रति हेक्टेयर का 200 कुलों से अधिक प्रति हेक्टेयर होने पर ऐसी भूमि खदान के लिए सौंपित नहीं की जानी चाहिए। पत्थर खदान के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार एवं अन्य समुचित उपज उत्पत्ती तथा इमारती प्रजातियों के 473 नए कुलों का कटा जाता पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कदापि ध्यान नहीं है, बल्कि दुष्प्रतिक्रिया है। समस्त फलदार तथा लघु वनोंपत्र कुल कुल स्थानीय प्राणी एवं अदिशसियों की अजीबिया के संधन होते हैं। संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारियों के ध्यान में यह लक्ष्य लाया जावे ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति कदापि न हो। जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों को भी अवगत कराया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारियों को 200 कुलों प्रति हेक्टेयर का प्रति हेक्टेयर 200 कुलों से अधिक होने पर ऐसी भूमि खदान के लिए सौंपित न किया जाना आवश्यक है।
21. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा इस परिषदीयता के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान आवक द्वारा दिये सभी विद्या निर्देशों के परिशिष्ट में केसरी डिस्ट्रीक्ट विन्डरॉन लिमिटेड, भोपाल के पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्देश केसरी डिस्ट्रीक्ट विन्डरॉन लिमिटेड

- मंगल की पूर्णतः सत्य होना। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. असेमित खदान से निकलने वाले उपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन को रखने एवं अन्य कार्यों हेतु उपयोग किये जाने के लिए वी नीरज मंगल का सहमति बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. असेमित खदान से 7.5 मीटर की इतित पट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षापेयन किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए मृत्युदण्ड 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 24. पर्यावरण सौकरुति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.ओ.अर. प्रवेजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए स्थानीय समिति के माध्दा प्रस्तुत किये गए प्रवेजल में ही खर्च किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 25. खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण सौकरुति के पालन प्रतिबन्धन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपसे द्वारा दी गई अनुशासनमक/कैवमिक कार्रवाही के लिए मैं बाबत रहूंगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 26. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर रोपटी ज़ोन में 1 मीटर ऊंचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुसयोग न करने, विखन न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उसके निरीक्षण/घमन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. ब्लॉस्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत लिमिटेडक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 28. प्रतीक्षण्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 29. परियोजना से जिन-जिन स्थलों में पसुडिस्टिब डमट फलार्जिन होना, उन स्थलों पर नियमित जल विखरार की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर स्थान वृक्षापेयन किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवायव्य रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थित नियमों के तहत बाउण्ड्री निस्तरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने संबंधी सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अवसर का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अवसर का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलसंधन का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India case petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस संबंधी सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को case petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस संबंधी सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. समिति का मत है कि जी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशादीयन कार्य के नॉन-टैरिफ एवं सर्वेक्षण हेतु कि-प्रांतीय समिति (प्रिन्सिपल/प्रतिनिधि, वाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्टीग्रेटेड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही जी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशादीयन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत नहित कि-प्रांतीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
28. भारतीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अडिजन्ड एपिलीकेशन नं. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परीत आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्यय किया गया—

1. सर्वोच्च कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), जिला-धनसरी के द्वारा क्रमांक 2095/सुप्रीम/अ.उत्तर.अनु./2023 धनसरी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (वाम-गौदलानाल) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (वाम-गौदलानाल) की मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परीधि में सक्रिय/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने को खाल पत्र खदान बी-2 केवी की जाती है।

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आदेश दिनांक 12/12/1988 के अनुसार किसी भूमि पर 200 कुर्छे प्रति हेक्टर या अधिक होने पर ऐसा क्षेत्र कम क्षेत्र की परिभाषा में आता है। समिति का मत है कि 200 कुर्छे प्रति हेक्टर या 200 कुर्छे से अधिक प्रति हेक्टर होने पर ऐसी भूमि खदान के लिए स्वीकृत नहीं की जाती चाहिए। पत्थर खदान के लिए 1 हेक्टर क्षेत्रफल में खदान एवं अन्य सम्बन्धित वस्तु स्थायी तथा इमारती इजाजतों की 473 नव कुर्छे का कटा जाना पर्याप्त संख्या की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है, बल्कि दुष्ट प्रवृत्ति है। समस्त खदान तथा लघु खनन मुक्त वृक्ष तथा वन्य प्राणियों एवं अधिवासियों को अजीबता के कारण होते हैं। समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के ध्यान में यह लक्ष्य लाना जाये ताकि भविष्य में ऐसी कुलवृत्ति कदापि न हो। जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थों को भी अवगत कराया जाय। जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को 200 कुर्छे प्रति हेक्टर या प्रति हेक्टर 200 कुर्छे से अधिक होने पर ऐसी भूमि खदान के लिए स्वीकृत न किया जाय।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श समस्त सर्वसम्मति से आदेशक - मेसर्स दिलीप बिल्डर्स लिमिटेड (गोदलानाला इन्डियन स्टील टेम्परी परमिट क्वारी(1)) को ग्राम-गोदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बनारसी को प्लॉट ऑफ खदान क्रमांक-18 एवं 18 में स्थित खदान पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर, 2 वर्षों में कुल क्षमता - 87,150 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-08 में उचित शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

सर्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग आखिल भारतीय (एन.ई.आई.ए.ए.) अतीवन्द को उपानुसार सूचित किया जाय। साथ ही समस्त जिला कलेक्टर को पत्र लेख किया जाय।

11. मेसर्स दिलीप बिल्डर्स लिमिटेड (गोदलानाला इन्डियन स्टील टेम्परी परमिट क्वारी(2)), ग्राम-गोदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बनारसी (परिचयपत्र का नम्बर क्रमांक 2370)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सी.डी./ एम.आई.ए.ए./ 424801 / 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खदान पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बनारसी में स्थित प्लॉट ऑफ खदान क्रमांक 18, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परम्पन क्षमता-81,812.8 टन (24,608 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए. अतीवन्द को प्रमाण दिनांक 08/05/2023 द्वारा प्रस्तुत करना हेतु सूचित किया गया।

बीड का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 22/05/2023:

प्रस्तुतकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नगरी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Basarwah Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 59+500 under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)" जारी वर्य ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स दिल्ली विस्कायन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के कब सड़क निर्माण के लिए टूटे एवीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धमारी के डायन क्रमांक 2342/खनिज/असहायी राज.अनु.आ/2023 धमारी, दिनांक 18/06/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "उत्खनि चट्टा क्षेत्र में डायन होने वाले ओवरबर्सेन प्राय प्राय खनिज के स्वामित्व (साम्प्टी) के अधिन भुगतान के तहत पर सहायक सड़क निर्माण में करने हेतु परिसर अनुमति प्रदान की जादगी।" का उल्लेख है।
3. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
4. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन की संख्या में ग्राम पंचायत वेदरा का दिनांक 18/06/2022 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन योजना - टेम्पलरी परमिट क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेलैजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बलार-कोरन के पत्र, डायन क्रमांक 498/खनिज/उत्ख.वी.अनु./पत्र/2023-24 जारी, दिनांक 13/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धमारी के डायन क्रमांक 2098/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमारी, दिनांक 23/03/2023 के अनुसार अधिमोदित खदान से 500 मीटर की मीटर आयुधित 3 खदानों, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सेक्टर - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धमारी के डायन क्रमांक 2100/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमारी, दिनांक 22/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एरिक्टर, बांध एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
8. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स दिल्ली विस्कायन लिमिटेड, भोपाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धमारी के डायन क्रमांक 1952/खनिज/असहायी राज. अनु.आ/2023 धमारी, दिनांक 27/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी केषत जारी दिनांक से 8 मही की अवधि तक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. वन विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र – कार्यालय, वन अधिकारी, बिरगुड़ी सामान्य जिला-धमतरी के द्वारा अनांक/मा.वि./जी/1923 बिरगुड़ी, दिनांक 17/08/2022 से जारी अनाथित प्रमाण पत्र अनुसार अधिदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 270 मीटर की दूरी पर है।
11. महावृक्ष संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-गौदलावाला 550 मीटर, स्कूल ग्राम-गौदलावाला 670 मीटर एवं अस्पताल बगलोक 30.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। सरारिया नदी 3.1 कि.मी., नाला 1.9 कि.मी., नहर 1.85 कि.मी. एवं तालाब 330 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इंडिकली पील्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
13. खनन कार्य एवं खनन का विवरण – डिपॉजिटिज्मल रिजर्व 3,25,000 टन (1,30,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 88,812 टन (38,725 घनमीटर) एवं निकटवर्ती रिजर्व 21,871 टन (30,788 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,020 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी गैलनार्डिज्म विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,745 घनमीटर है, जिसमें से 1,058 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलाकर कृषायोग्य किया जाएगा। खनन करने की मोटाई 7.75 मीटर एवं मात्रा 88,888 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार खनन करने का उपयोग रैन्य व बमर निर्माण तथा पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। लीज ऊपरी मिट्टी एवं खनन करने की लीज क्षेत्र के बाहर सड़कती प्राप्त भूमि (जिसका अनांक 18/1, क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर) में सम्भारित वन संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की सम्भारित आयु 62 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थिति किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रिल से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाएगा। वर्षाव प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	61,512.50
द्वितीय	30,423.75
कुल	91,936.25

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से वाद्यम से की जाएगी। न्यू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल वायम्ब वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त वन प्रस्तुत किया गया है।
15. कृषायोग्य कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में 587 वर्ग कृषायोग्य किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के दीवार सड़की/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न गूल जलस्रोत के नियंत्रण हेतु प्लांट सिद्धकाय		50,000	50,000	-	-	-
खदान के बावन्दी में (507 मग) प्लांटोपम हेतु	प्लांटोपम (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	59,700	-	-	-	-
	पेयिंग हेतु राशि	50,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	सिंचाई एवं नल-सवण हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,59,700		3,29,700	3,20,000	1,70,000	1,70,000	1,70,000

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार में चर्चा करवाते निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. High School Village- Khairthari	
			Running water arrangement in toilet	0.30
			Donation of books related to Environment Conservation & Amira	0.10
			Total	0.40

18. सी.ई.आर. के उद्देश्य प्रभावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

19. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राज्य), नगरी जिला-बगलरी के द्वारा क्रमांक 1325/अ.वि.अ./2022 नगरी, दिनांक 13/08/2022 द्वारा जारी अनुसंधान पत्र अनुसंधान "खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, खसरा 1, 94, 2, 16, 2, 33, 2, 87 2, 21, 2, 75 है, इस पौदाखाना पर 13 तहसील-नगरी, जिला-बगलरी स्थित कुछ जिनकी प्रकृति- साजा, बीजा, खन्डार, सार, हल्लू, कसबी बरिसिंग, लेन्गु इत, बैल आंवाला, कुसुम, मेसिया, ककई, सेंडा, बीघन, कर्त, पाकडा, पीपल, ईगली मारलात, सिन्ना, बंगलाजीर, जामुन, बडेडा, पलास, कुशी, लोखन, रोपल, रोहन, आम, महुआ एवं संख्या क्रमांक प्राकृतिक रूप से 13 कुल कुल- 583 में से सिर्फ 10 कुल एवं रोपित कुल कुल - 483 (100 नए शापीन दूध को छोड़ा गया है), कुल कुली की संख्या - 473 नए होता है, जिसे कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन में चिन्हांकित किया गया है, जो कटे जाने पर सक्षिता के सिन्ही उपकरणों का प्रस्तुत नहीं हो रहा है। इस प्रयोजनानुसार कुछ कटाई की अनुसंधान अभिलेख की जाती है।" का प्रस्तुत है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान अपने द्वारा किये गये दिशा निर्देशों के परिधि में मेसर्स दिलीप विल्डवुड लिमिटेड, भोपाल के पास में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्माण मेसर्स दिलीप विल्डवुड लिमिटेड भोपाल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. अपेक्षित खदान से निकलने वाले खपटी मिट्टी एवं अंतर बर्तन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री नीरज मंगवाल का सहमति सत्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. अपेक्षित खदान को 7.5 मीटर की हगिता पट्टी में प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए पुनर्स्थापन किया जाएगा। रोपित वीथी का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करती हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण क्षीयति घाना हो जाने के परचात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. इन्फोर्मल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करती हुए मानवीय क्षति के सत्य प्रस्तुत किये गए इन्फोर्मल में ही कार्य किये जाने सत्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. कार्य किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटेशन एवं NAD, फाईल सहित पर्यावरण क्षीयति के प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अपने द्वारा दी गई अनुसंधान-राज्य/कैम्पिक कार्यकारी के लिए में सत्य सत्य पत्र। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. खपटी मिट्टी को सीधे क्षेत्र के अंदर रोपटी जेल में 1 मीटर ऊंचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का पुनर्स्थापन न करने, विनाश न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापन हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रमाण के दौरान निरीक्षण करवाये जाने सत्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लॉकिंग का कार्य सी.जी.एम.एच. द्वारा अधिकृत डिप्लोमेटिक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. फ्लोसागड अदालत मुन्शीप गैरि के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना से जिन-जिन स्वलों से प्लुविलिटिव अस्ट चालार्जिन होया, उन स्वलों पर निर्धारित जल क्षिप्रकाल की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. बाईनिंग लीज क्षेत्र को अंदर राशन सुधारोपन किये जाने एवं रोपित पीठों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निधनों के तहत बाजम्ही मिलवर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाल में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान के संबंधित कोई न्यायालयीन इक्लम देन के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई कलेशन का इक्लम लखित नहीं है।
34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निरा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रिन्साईटर/अतिनिधि, राम संघवात के पराधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या फ्लोसागड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पराधिकारी/अतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कदम प्राण आवश्यक है।
37. माननीय एन.जी.टी., डिफिपल डेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद परम्डेव विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य





(ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्पोरेट कलेक्टर (सुनिज राधा), जिला-बमलाही के द्वारा अर्जांक 2088/सुनिज/अ.उत्प.अनु./2023 बमलाही, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गौदलानाला) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गौदलानाला) को मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने को कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेरुन दिलीप बिस्वाजीन लिमिटेड (गौदलानाला आर्किनेरी स्टोन टेम्पलरी परमिट न्यारी(2)) को ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बमलाही के पार्ट ऑफ खदान अर्जांक 18 में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीन सुनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्ग मी में कुल क्षमता - 91,808 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-87 में वर्णित शर्तों से अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

राज्य सार्विक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेरुन दिलीप बिस्वाजीन लिमिटेड (गौदलानाला आर्किनेरी स्टोन टेम्पलरी परमिट न्यारी(2)), ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बमलाही (सचिवालय का नसीब अर्जांक 2371)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428888/ 2023, दिनांक 05/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन सुनिज) खदान है। खदान ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-बमलाही में स्थित पार्ट ऑफ खदान अर्जांक-18, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-81,747.5 टन (32,888 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 23/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जलकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Sargi Sasawahi Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 59+500 under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)." जारी वर्ष ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स विलेज विस्कोपीन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के नया सड़क निर्माण के लिए दूधे एपीएच की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के डायन क्रमांक 2342/खनिज/अस्थापी उल्ल.अनु.आ/2022 धमतरी, दिनांक 19/08/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार "उत्खाने पट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले ओवरलैंडिंग प्राप्त गीम खनिज के स्वामित्व (राजस्वी) के अधिन पुनर्दान के तहत पर सार्वजनिक सड़क निर्माण में करने हेतु परिवहन अनुमति प्रदान की जाएगी।" का उल्लेख है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय मूल्यांकन संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय मूल्यांकन जारी नहीं की गई है।
4. धाम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खाने की संकेत में धाम पंचायत पेट्टा का दिनांक 19/08/2022 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खाने योजना - टेम्पली पारमिट जारी प्लान, इनहायड्रोमेट मेनेजमेंट प्लान एम्ब ग्लासी क्लीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प.), जिला-धमतरी बस्ता-कॉलेज के डायन क्रमांक /खनिज/अस्थापी.अनु./उ.प./2022-23 कांसेप्ट, दिनांक 13/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के डायन क्रमांक 2089/खनिज/अ.उल्ल.अनु./2022 धमतरी, दिनांक 22/03/2022 के अनुसार अवैधित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के डायन क्रमांक 2082/खनिज/अ.उल्ल.अनु./2022 धमतरी, दिनांक 22/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, परिवार, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एपीकॉट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
8. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स विलेज विस्कोपीन लिमिटेड, बोंवाल के माल पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के डायन क्रमांक 1850/खनि/अस्थापी उल्ल. अनु.आ/2022 धमतरी, दिनांक 27/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी क़िता जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

11

10. **वन विभाग का अनुमति प्राप्त पत्र** – अंतर्जात वन अधिकार अधिकारी, विंगुडी तालुका, जिला-धर्मपुरी के जमान क्रमांक/मा.वि./जी/1833 विंगुडी, दिनांक 17/08/2022 से जारी अनुमति प्राप्त पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 270 मीटर की दूरी पर है।
11. **सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-गोदलानाला 880 मीटर, स्कूल ग्राम-गोदलानाला 780 मीटर एवं अस्पताल कनकलीड 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 12.75 कि.मी. दूर है। सरारिया नदी 3.1 कि.मी., नाला 1.85 कि.मी., नहर 1.85 कि.मी. एवं तालाब 380 मीटर दूर है।
12. **परिस्थितीय/जैववैविध्य संरचनात्मक क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्जातीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली प्रोटेक्टेड एरिया, परिस्थितीय संरचनात्मक क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
13. **खनन संघदा एवं खनन का विवरण** – जिपसोसिक्ल रिजर्व 4,00,000 टन (1,80,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,17,737 टन (47,098 घनमीटर) एवं रिफ़ायरिंग रिजर्व 1,11,880 टन (44,740 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,840 वर्गमीटर है। औद्योगिक क्लास सीमी मेकेनइज्ड मिट्टी से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,790 घनमीटर है, जिसमें से 888 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनर्स्थापित किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 7.75 मीटर एवं मात्रा 48,510 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रैप व ब्याच निर्माण तथा पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। क्षेत्र ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सभ्यता प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 18/1, क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर) में संचालित वन संरक्षित रखा जाएगा। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की संभावित आयु 60 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ढाहर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हॉल से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल मॉनिटरिंग किया जाएगा। खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाएगा। जलवायु प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	81,747.5
द्वितीय	30,031.88
कुल	1,11,779.38

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल से माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल हाइड्रॉ मीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. **पुनर्स्थापन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में धारी ओवर 7.5 मीटर की पट्टी में 881 टन पुनर्स्थापित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रस्तावित निवेशों हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टों मार्ग से प्रथम कुल प्रस्तावित निवेशों हेतु जल सिककाव		50,000	50,000	—	—	—
खदान के बाउण्ड्री में (381 वर्ष) कुल निवेश हेतु	कुल निवेश (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	56,100	—	—	—	—
	जीवन हेतु राशि	48,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050
	सिंचाई एवं पक्क-सडक हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,44,350		3,22,150	2,18,050	1,68,050	1,68,050	1,68,050

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखाव — जीव क्षेत्र के मार्ग और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखरखाव कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School Village- Bedhwapathra	
			Running water Facility for toilet	0.17
			Installation of drain line, drain work and Toiletries in toilet	0.15
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Total	0.42

18. सी.ई.ओ. के लक्षण प्रस्तावित समूह के प्राथमिक (Municipal) का सहमति पर प्रस्तुत किया गया है।
19. न्यायालय अनुविधानीय अधिकारी (राज्य), नगरी जिला-धनसरी के द्वारा क्रमांक 1325/अ.वि.अ./2022 नगरी, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी अनुसंधान पत्र अनुसार "अनुसंधान क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्रमांक 1.94, 2.18, 2.33, 3.87, 3.21, 2.75 है, काम परिवर्तनात्मक प.इ.नं. 13 तहसील-नगरी, जिला-धनसरी स्थित कुल विनकी प्रकृति- साज, बीजा, खन्धार, साल, इन्दू, कचड़ी बसिंग, टीन्दू, हर्, बेल, आंवला, कुसुम, मेलघा, कचई, सोन्हा, मोघन, कर्त, बावड़ा, पीपल, ईश्ली बरसात, सिन्हा, बंगलाजीर, जामुन, बहेड़ा, प्लम, कुम्भी, खोबन्, सेमल, रोहन, आम, महुआ एवं संख्या क्रमशः प्राकृतिक रूप से उन्हें कुल कुल-583 में से निर्ध 10 कुल एवं संश्लि कुल कुल - 483 (22 नव सागीन रूप को छोड़ा गया है), कुल कुलों की संख्या - 473 नग होता है, जिनमें कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन में विस्तारित किया गया है, जो कटे जाने पर महिला के किन्ही लक्ष्यों का उत्पन्न नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार कुल कटाई की अनुसंधान अभिव्यक्त की जाती है।" का उल्लेख है।
20. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस परिवोजना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान आपसे द्वारा दिये सभी विस्तार निर्देशों के परिदृश्य में मेसर्स दिल्लीप विस्वर्डीन लिमिटेड, भोपाल के पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा लिखा गया निर्देश मेसर्स दिल्लीप विस्वर्डीन लिमिटेड भोपाल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आवेदित खदान से निकलने वाले कचरी मिट्टी एवं जोखन बर्डेन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री नीरज मंगवाल का सहमति बाध्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आवेदित खदान के 7.5 मीटर की इतल परटी में प्रस्ताव अनुसार रशि का उपयोग करते हुए कुसादीयन किया जाएगा। संश्लि पीछे का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 60 प्रतिशत जीवन संश्लि सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण रक्षकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.ओ. प्रपोजल की रशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए मानवीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही कार्य किये जाने बाध्य सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. धार किये गए रशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटोप्राक एवं NMR, फाईल सहित पर्यावरण रक्षकृति के चलन प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपसे द्वारा दी गई अनुसंधानात्मक/विधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. कचरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जॉन में 1 मीटर ऊंचाई तक संश्लि कर संश्लि रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने तथा निर्देशात्मकता/अधिकारी को उनसे निर्देशन/प्रथम

- के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. एक्सप्लोसिव का कार्ड सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. छातीनागढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 28. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से प्लुमिडिय कस्त उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 29. बाइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर शपथ पत्रांतरण किये जाने एवं संभित पौधों का सवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निष्पत्ती के तहत बाजमट्टी मिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 31. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 32. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस अध्याय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इजलास देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
 33. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस अध्याय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलायान का प्रकरण लखित नहीं है।
 34. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 35. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन कार्य के नॉन्डोरिंग एवं परीक्षण हेतु डि-पार्टीय समिति (ऑनसाइट/प्रतिनिधि, राम पर्यावरण के पराधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का छातीनागढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह के पराधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित डि-पार्टीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. सामंतीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरोध भावा सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अवेधित खदान नं. 188 और 2018 एवं अन्य) से दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कर्वालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धनगढ़ी के द्वारा क्रमांक 2080/खनिज/अ.सख.अनु./2023 धनगढ़ी, दिनांक 22/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-गौदलानाला) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गौदलानाला) की मिलाकर कुल एका 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिलीप बिल्डरॉन लिमिटेड (गौदलानाला अर्द्धनदी स्टोन टेम्परी परमिट श्वारी(3)) को ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धनगढ़ी के चार्ट ऑफ सख्त क्रमांक 16 में स्थित सञ्चालन पत्थर (पील खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्ग में कुल क्षमता - 1,11,778 टन से अधिक न हो, हेतु परिसिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एच.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णता को उपानुसार सुचित किया जाए।

13. मेसर्स दिलीप बिल्डरॉन लिमिटेड (गौदलानाला अर्द्धनदी स्टोन टेम्परी परमिट श्वारी(4)), ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धनगढ़ी (सचिवालय का नशी क्रमांक 2372)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एचआईएन/ 434713/ 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सञ्चालन पत्थर (पील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गौदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धनगढ़ी स्थित चार्ट ऑफ सख्त क्रमांक-16 एवं 17, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित सञ्चालन क्षमता-82,438.25 टन (32,974.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तीर्णता के द्वारा दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 22/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) की पत्र दिनांक 28/02/2022 द्वारा "Six Lane Barge Bypass Section of NH-130-CD Road from km 42+800 to km 59+500 under Raipur-Vishakhapatnam Economic Corridor in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode (Package CG-2)." जारी कर्ड ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स विल्डजीन लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के मध्य सड़क निर्माण के लिए टुम्बे एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-धमतरा के ड्राफ्ट क्रमांक 2042/खनिज/अस्थायी उत्ख.अनुज्ञा/2023 धमतरा, दिनांक 18/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "चलानि पट्टा क्षेत्र से ड्राफ्ट होने वाले ओवरलैपिंग ग्रॉफ सीम खनिज के स्वामित्व (राजस्वी) के अधिन भूमिदान के तहत पत्र सासादीय सड़क निर्माण में करने हेतु परिष्कृत अनुमति प्रदान की जाएगी।" का उल्लेख है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
4. ड्राफ्ट पंचायत का अनापठित प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रोदता का दिनांक 18/08/2022 का अनापठित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन योजना — टेंपराटी परमिट क्वारी प्लान, इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जन-संचालक (ख.प्र.), जिला-राजतर बसतर-ठांकेर के नु. ड्राफ्ट क्रमांक 600/खनिज/उत्ख.योजना/उ.प्र./2022-23 कांवेन, दिनांक 13/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-धमतरा के ड्राफ्ट क्रमांक 2047/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमतरा, दिनांक 22/08/2023 को अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-धमतरा के ड्राफ्ट क्रमांक 2048/खनिज/अ.उत्ख.अनु./2023 धमतरा, दिनांक 22/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जमा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ/घर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकाट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। सड़क 200 मीटर दूर है।
8. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स विल्डजीन लिमिटेड, भोपाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-धमतरा के ड्राफ्ट क्रमांक 1948/खनिज/अस्थायी उत्ख.अनुज्ञा/2023 धमतरा, दिनांक 27/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक है। लैंड सेल एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यालय, वन अधिकारी, विरगुड़ी सामान्य, जिला-बनारस के द्वारा क्रमांक/माफि./जी./1833 विरगुड़ी, दिनांक 17/08/2022 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 270 मीटर की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-गोंदलनाला 820 मीटर, स्कूल ग्राम-गोंदलनाला 780 मीटर एवं अस्पताल मंगरलोड 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 102 कि.मी. एवं राजमार्ग 128 कि.मी. दूर है। सावरिया नदी 12 कि.मी., नाला 2 कि.मी., नहर 1.55 कि.मी. एवं तालाब 440 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जांतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जमवाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिकली पीन्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
13. खदान संसाधन एवं खदान का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,00,000 टन (1,60,000 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 1,18,482 टन (47,385 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,12,539 टन (45,015 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,820 वर्गमीटर है। औपम कास्ट सीमी रेसेन्सार्डिंग विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,795 घनमीटर है, जिसमें से 989 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलकर सुरक्षित किया जाएगा। ओवर बर्लिन की मोटाई 7.75 मीटर एवं मात्रा 48,885 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्लिन का उपयोग रैम्प व अन्य निर्माण तथा पट्टीय मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। क्षेत्र ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्लिन को लीज क्षेत्र को बंदर सहसति प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 18/1, क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर) में मजबूत कर संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रम से ट्रिपल एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में खनू प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	82,438.25
द्वितीय	30,031.88
कुल	1,12,469.13

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल से मध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु केंद्रीय प्राथमिक कौटिल्य अकादमी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. कुआरौपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गड्ढी में 500 नम कुआरौपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	—	—	—
खदान के बाउन्ड्री में (500 मम) कुआरौपण हेतु	कुआरौपण (30 प्रतिघात जीवन दर) हेतु राशि	55,500	—	—	—	—
	सीलिंग हेतु राशि	48,500	—	—	—	—
	साद हेतु राशि	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750
	मिथाई एवं रसा-रसाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 13,40,750		3,19,750	2,17,750	1,87,750	1,87,750	1,87,750

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गड्ढी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गड्ढी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय ज़िम्मेदार (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सफल विस्तार से कार्य प्रस्तावित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School Village- Selbahera	
			Installation of UV Filter and its AMC	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation & Amins	0.15
			Total	0.43

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी जिला-बनारसी के द्वारा क्रमांक 1325/अ.वि.अ./2022 नगरी, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी अनुसंधान पत्र अनुसार "खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, रकबा 1.04, 2.18, 2.33, 2.87, 2.21, 2.78 है, ग्राम मोदलानाला प.ह.न. 13 तहसील-नगरी, जिला-बनारसी सिवा कुल विन्धवी प्रजाति- छाया, बीजा, खम्बर, गाज, हल्लू, कसडी बसिंग, लेन्दू, हरी, बैल, आंवला, कुसुम, मेलया, ककई, चीन्हा, मोहन, कर्ल, कावडा, पीपल, ईगली मगरखत, सिन्हा, बंगालापीर, जामुन, बहेडा, पला, कुशी, मोहन, सोमल, रोहन, आम, बहुआ एवं संख्या क्रमश प्राकृतिक रूप से उने कुल कुल- 583 में से सिर्फ 10 कुल एवं रोपित कुल कुल - 683 (102 नम सान्नीन रूड को छोड़ा गया है), कुल कुली की संख्या - 473 नम होता है, जिले कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन में विन्धकित किया गया है, को कट्टे जाने पर सहिता को किन्ही उपरोक्त का उपलक्षण नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार कुल कटाई की अनुसंधान अभिप्राय की जाती है।" का उल्लेख है।
20. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस परिशोधना के लिए श्री संजीव कुमार सिंह को अधिकृत किया गया है प्रस्तुतीकरण के दौरान आपके द्वारा दिये सभी दिशा निर्देशों के परिपेक्ष में मेसर्स दिल्लीय सिल्वरवीन लिमिटेड, मोराल के पत्र में श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा किया गया निर्देश मेसर्स दिल्लीय सिल्वरवीन लिमिटेड मोराल को पूर्णतः मान्य होगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. आर्देहित खदान से निकलने वाले कपरी मिट्टी एवं ओखन बडीन को रखने एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किये जाने के लिए श्री नीरज गंगवाल का सहमति बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आर्देहित खदान के 7.5 मीटर की लरित चट्टी में प्रस्ताव अनुसार रसि का उपयोग करते हुए कुलरोपण किया जाएगा। रोपित पीपों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की रसि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए मासवीय समिति के सत्य प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही खर्च किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. खर्च किये गए रसि की क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं BML काईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिशा जादगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/कैडनिक कार्यकारी के लिए मैं सत्य रहूँगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जेन में 1 मीटर ऊँचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुलयोग न करने, विखर्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रयोग हेतु किये जाने तथा निर्देशावकर्ता/अधिकारी को उनके निर्देशन/प्रमाण

- के दौरान निर्देशन कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. ब्लॉकिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिलेखित विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. प्रतापसमूह आदर्श पुनर्वसन नीति के तहत स्व-नीच लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 28. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुजिटिव डास्ट प्रामाणन होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य कुलरोपण किये जाने एवं संश्लिष्ट पौधों का सहाईवाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 31. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 32. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
 33. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटिस से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण, वन और जलवायु परिवर्तन संश्लेषण की अधिसूचना 2014 (अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई प्रकरण ललित नहीं है।
 34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशादेपण कार्य के ऑनोडरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (मेनस्ट्रॉक्टर/अतिनिधि, वन संश्लेषण के पदाधिकारी/अतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतापसमूह पर्यवेक्षण संश्लेषण समूह के पदाधिकारी/अतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुशादेपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS MIS MAHAVIR COAL
WASHERIES PRIVATE LIMITED KHASRA NUMBER 55/10, 55/11, AREA - 5.99
HECTARE (17.36 ACRE) VILLAGE - KANHAIBANDH, TEHSIL - JANJGIR,
DISTRICT - JAJKUR-CHAMPA (C.G.) FOR EXPANSION OF COAL WASHERY
0.99 MILLION TONNE PER YEAR TO 2.48 MILLION TONNE PER YEAR**

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory compliance

- i. The project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.
- ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. As per the proposal submitted by the project proponent, rain water collected in proposed reservoirs within and outside the plant premises shall be utilized for industrial activities as maximum as possible. As per Central Ground Water Authority notification, the proposed site falls under safe zone, therefore, no ground water shall be withdrawn/used for industrial activities without prior permission from the Central Ground Water Authority. Project proponent shall obtain permission from the Central Ground Water Authority for drawl of ground water.
- iv. Solid waste / hazardous waste generated in the washery needs to be addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016 (as amended).
- v. The project proponent shall obtain Hazardous waste authorization if any shall be generated under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended) from time to time.
- vi. Coal stacking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.
- vii. Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates (PM_{10} & $PM_{2.5}$), SO_2 and NO_2 . Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features, and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the CECB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.
- ii. Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statute be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM_{10} , $PM_{2.5}$, SO_2 and NO_2 . Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed.

in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

- iii. Project proponent shall ensure transportation of raw coal, washed coal and rejects through railway as maximum as possible. Also ensure minimum (70)% of total washed coal shall be transported through railway and rejects generated shall be transported through road. Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks. The transportation of clean coal shall be carried out by rail with wagon loading through silo as far as possible. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading / unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board/ Chhattisgarh Environment Conservation Board. The particulate emission from any point source shall not exceed $30 \text{ mg} / \text{Nm}^3$ under any circumstances.
- iv. All possible particulate matter and fugitive dust emission source points like unloading areas, loading area, coal crusher unit, rotary breaker unit, screen house unit, conveyor belt, transfer points, junction points, coal (raw, washed and reject) storage yard etc. shall be kept away from the railway line.
- v. All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.
- vi. Covered trucks shall be engaged for transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.
- vii. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 03 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain guns all along the periphery of plant premises (three sides) and boundary wall of height not less than 04 meters over the boundary wall towards railway line side, wind breaking screen of height not less than 03 meters over the boundary wall towards railway line side shall be constructed to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.
- viii. Facilities for parking of trucks carrying raw material shall be created within the unit.
- ix. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.
- x. Hoppers of the coal crushing unit, screening unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters with dust extraction system. Mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from

crushing operations, transfer / junction points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

- ii. The Raw coal / washed coal / rejects / coal sludge shall be stored above ground level in pucca platform within stockyards fitted with wind breakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.
- iii. The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

III. Noise and Vibration monitoring and prevention

- i. The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the factory premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.
- ii. Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in operations shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

IV. Water quality monitoring

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Effluent generated during the process after expansion, project proponent shall install effluent treatment plant accordingly. The effluent discharge shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974, Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.
- iii. Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.
- iv. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/naah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/naah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on

the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

- v. Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analyzed once in a year and records maintained thereof.
- vi. The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or disposed off through sale for its gainful utilization.
- vii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- viii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- ix. An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any rivet/hule/tipond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEF&CC and implemented.
- x. Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.
- xi. Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.
- xii. No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA). The fresh water requirement of washery should not exceed 410 KLD.
- xiii. Project proponent shall be provided wheel washing arrangement inside the premises.
- xiv. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the project area. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.
- xv. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.
- xvi. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / Water Resource Department, Chhattisgarh.

V. Green Belt

- i. Minimum 8.63 Acre (50% of total land area) should be covered under green belt area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 20 m width shall be developed all along the premises to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main

approach roads and all along the boundary. Project proponent shall ensure development of minimum 40 m wide green belt towards the railway line. Project proponent shall ensure that plantation shall be complete within 6 months.

- ii. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grading land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

VI. Public hearing and Human health issues

- i. The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project. Besides regular periodic health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.
- ii. Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- iii. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land owners shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

VII. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted -

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at Govt. higher secondary school Village- Jarwa	
			Plantation work	3.22
			Total	3.22

- ii. CER activities mentioned in the previous Environment Clearance, project proponent shall ensure to complete that CER activities within a time frame.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringement/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringement / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

VIII. Additional Conditions

- i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEMA/SEAC, C.G. alongwith photographs.
- iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM_{10} , $PM_{2.5}$, SO_2 , NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of

- the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal
- vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Conservation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company
 - vii. Project proponent shall ensure fulfillment of the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 and prepare Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden prior to start of any construction work (if required). Project proponent shall obtain NOC from Director, Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve, Kor, Bilaspur prior to start of any construction work.
 - ix. Project proponent shall ensure no any hindrance to any villagers / farmers to access their field due to establishment / operation of coal washery
 - x. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
 - xi. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.
 - xii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
 - xiii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal
 - xiv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
 - xv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
 - xvi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
 - xvii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
 - xviii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
 - xix. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

- ix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- x. The Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

वेसर्न विलेज मिल्लकीज लिमिटेड (पुनर्गठन अधिनियम अधीन दायित्वीय परिवर्तित कर्ता(1)) को चार्टर्ड अर्थिक खदान क्रमांक 328/1, 328/2, 328/8, 329 एवं 330, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, घास-बनबुड़ा, तहसील-बनबारी, जिला-बनारस में सार्वजनिक पथ पर (गैजेट अधिनियम) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,35,291 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु की है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,35,291 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, चाहे जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दम्पकालक कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात् उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परिवोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा इन्टीग्रेटेड साइज, अधिनियम अधिनियम द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सार्वजनिक पथ का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,35,291 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्टा (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आसंका एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान अधिनियम अधिनियम द्वारा अधिलेखित किसी क्वार्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जलित जोखन बर्सेन को विज्ञापित किया जाता है तो, सख्त जागरूकता से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं कारगर व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की फैसला भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवाचार द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (गया संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार चर्टेयार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करके जाने हेतु परिवोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतिसु इस प्रक्रिया में अथवा कुशलता हेतु पुनः जांच किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अपसर्जन में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपरोक्त सुचित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) से अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा विनी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनही खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनही से-इसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुन-स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वायु, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिष्कारण प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रतिकारों से अनुसूचित बाईन क्लेयर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विनी / बेंट / फाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्लोर, सल्फर, ट्रांसफर फाईट्स (यदि कोई हों) से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ क्लेरा का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। क्षणिक उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न चरणों से उत्पन्न फ्यूजिटिव इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। धूल, बार्न, स्मॉ, संचलन क्षेत्र, बरतई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन किन्तुओं इस्ट कॉन्टेनमेंट कम स्ट्रैशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इकाय सतह संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग बेल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों से अनुसृत रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 1.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में कृत्रिमता किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटाई नई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन-उद्धार हेतु अथवा बहरी ओवरबॉर्डिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरबॉर्डिंग एवं अनुपयोगी / बिड़ी अपयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से किन्हीं स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लो 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबॉर्डिंग डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से कृत्रिमता किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरबॉर्डिंग एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अपयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के पर्यंत बने चट्टी में पुन-भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया में उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सखी जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु बाईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटिनिंग वॉल / बायोरेमड हेन की आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन रोकनेवाली कचई बाहन से किया जाए, ताकि खनिज बाहन से बाहर नहीं गिरे; खनिज का परिवहन कर दो वाहनों की संख्या से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Middle School Village- Pahanda	
			sanitary ware, Toiletries, Drainage work and installation	0.10
			Donation of books related to Environment Conservation & Amins	0.10
			Plantation	0.32
			Total	0.52

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में सम्मिलित करती हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशलतापूर्वक असाध्य होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नए पीपों के लिए राशि 300 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रक्षाक आदि के लिए राशि 7,500 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 9,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 37,200 रुपये हेतु के तहत कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के निमित्तीय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रशासनिक कार्यपालन संस्थान के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति में सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खदान पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवेके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यकी दिशेन्द्रादी होगी।
25. उत्खनन हेतु निश्चिद क्षेत्र (घाटी तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, जीकरबर्सेन इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के 800 वृक्षों का रखन वृक्षारोपन किया जाए। इतिल घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्रदूषणिता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, पीप, कर्ज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, कीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग वीधों का रोपन (कुल 800 नग वीधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त साधनता (जसा कटिरेखन तार के बाड़ कच्चा ट्टी गाई का उपयोग) किया जाए। खाल उपलब्ध नहीं होने की दसा में संबंधित खान पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपनीमानुसार वृक्षारोपन किया जाए। 3 फीट से 8 फीट अंचाई वाले वीधों का ही रोपण किया जाए। उपनीक वृक्षारोपण इत्या वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सवीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले वीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं वीधों के नाम का उल्लेख कर्ता हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी पासन प्रतीवेदन के साथ जमा करे।
28. वार्षिक लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर रखन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वीधों का सावाइवाल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित कर्ता हुये मृत वीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉरी एवं फोटोग्राफस आनुवर्तिक रिपोर्ट में समाहित कर्ता हुये छलीनगद पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छलीनगद को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सवीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना से जिन-जिन स्थलों को पर्यावरिक असर प्राप्त होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिद्धकाव की व्यवस्था किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कर्तारोपन नियम (Minerals Conservation Rule) के तहत काठगुड़ी विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछार, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होगा चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनिकों को हूपरलम/मक आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विविधसहीत जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
35. सखम प्रतिकारी / डी.जी.ए.एस. से अनुमति उपलब्ध निरुपेठक लईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुनिश्चित एवं नियंत्रित विधि से अंटोल अतिवेदन

किन्तु जाए। पथन के छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई सीसा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्वस्थ व्यवस्था किया जाए। यह ट्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ट्रिलिंग किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

36. उत्सर्जन प्रक्रिया नू-जल सार के ऊपर अनंतुत प्रभाव में की जाएगी एवं उत्सर्जन प्रक्रिया नू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
37. उत्सर्जन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित जनस्वच्छी एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में कबे जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, जनस्वच्छी का संरक्षित संरक्षण आवश्यक दर्शाया होगा।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्सर्जन छत्तीसगढ़ नीचे खनिज विन्य, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्सर्जन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
39. कार्य स्थल पर यदि बेमिंप शक्ति कर्मी पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों को आवास एवं सुस्था हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
40. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसमीय सुविधा, गैरबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
41. शक्तियों का समय-समय पर आकूपेक्षणाल हेतु सर्विलेंस कर्ताग आवश्यक है।
42. उत्सर्जन की तकनीक, कर्मी क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्सर्जन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्सर्जन, खनिज की मात्रा एवं अनिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. इस पर्यावरणीय स्वीकृति की जाती करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकरण अथवा संप्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रदा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काश के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
45. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सभासद पदों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतियों सविद्यलय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट paribesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की वॉचिंग के लिए। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
48. एस.ई.आई.ए.ए. भारतीय मृदा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीय मृदा पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संघ में की जाने वाली वॉचिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
49. परियोजना प्रस्तावक भारतीय मृदा पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 व/या (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गई विधियों, परिशेकटनय और अन्य अधिशिष्ट (अंध एवं सीमावार संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक सचिवाय सेवा अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
50. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. भारतीय मृदा पर्यावरण में कोई भी विवाद अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. भारतीय मृदा पर्यावरण के अधीन जानकारों सहित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. भारतीय मृदा पर्यावरण इस पर विचार कर शर्तों की प्पमनुस्यता अथवा अधीन शर्तों विरुद्ध करने कायत निर्णय ले सके। सुदान में कोई भी विवाद अथवा सम्पदन एस.ई.आई.ए.ए. भारतीय मृदा पर्यावरण / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
51. भारतीय मृदा पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं पर्याय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिना की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
52. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सदस्य, एस.ई.ए.सी.

नेशनल रिजर्व विज्डोमडोन लिमिटेड (इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) लिमिटेड (एन.डी.डी.) को वार्षिक बजट 2020/2021 एवं 2020/2021, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, राम-बाबुदा, दहलील-मंगरली, जिला-बाबली में वायव्य पक्ष (नीच खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल समता - 1,28,338 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खान घट्टे से निष्काशन की तारीख से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन समता 2 वर्षों में कुल समता - 1,28,338 टन से अधिक उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अखिल जमान से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दस्तावेज सौंपवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को जारी सूची में भी डाला जा सकता है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा समतलगत सामान् खनिज सासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोनी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से वायव्य पक्ष का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल समता - 1,28,338 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का संरक्षण अखिल पक्षों मुहारे समान्य जाए। लीज क्षेत्र में विस्तार बड़े कुदों को नहीं करा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज पटल का नाम, खदान का क्षेत्रफल अथवा एवं देसांतर सहित, उत्खनन की शर्त, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किसी बलवत्तर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जमित अक्षर बर्तन को निकल किया जाता है तो, स्थल प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्खनन जल एवं धरतू युक्त जल (यदि कोई हो), को उत्खनन की अवधि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वेबसाइट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. राष्ट्रीय एन.डी.डी. की जांचत दिनांक 28/02/2021 को अनुसूत घट्टेवार द्वारा माहुनित ध्यान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रदूषण एवं खदान से उत्खनन किसी भी प्रकार से युक्तित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतितु इसी प्रदूषण में अथवा कुसरीयल हेतु पुनःउत्पन्न किया जाए। धरतू युक्तित जल को उत्खनन से तिरु सेंटिक टैंक एवं सॉलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया

जाए। दूषित जल एवं कचरे/कचरा का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की पुनरुत्पत्ति याता सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा भारतक खान संयंत्रों में बंद करने की उपरोक्त (और closing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी पुन-वर्धन (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनस्थापना इस निधि तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियाँ, पौधों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिवर्तन प्रभावक द्वारा खान गतिविधियों से अनुसंधित नष्टों को खोज कर एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से परामर्श प्राप्त करने की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी किन्हीं / वेद / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इससे अधिक पार्टिकुलेट मैटर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेद फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्सर्जन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पार्टिकुलेट अल्ट्रा उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्यटन मार्ग, रैम, संरक्षण क्षेत्र, मराई एवं अन्य अल्ट्रा उत्सर्जन बिन्दुओं अल्ट्रा कंटेनमेंट कम स्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका मातृ संयंत्र / संयंत्र सुनिश्चित किया जाए। विषम ड्रेजिंग बेल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाढ़ों, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी बरकर।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी माई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेद का क्षेत्र / सम्भारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषिरोपण किया जाए।
15. उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई खनि मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन-उत्थान हेतु अथवा बाहरी जोवनबर्धन को स्थान (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। खनि मिट्टी (टीप सीईल) को लीज क्षेत्र के बाहर कृषक से सम्भारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. जोवनबर्धन एवं अनुसंधानी/किन्हीं अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को कृषक से पूर्ण से किन्हीं स्थान पर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्भारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्भारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषम प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। जोवनबर्धन ढग का ढाल रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषिरोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो जोवनबर्धन एवं अन्य अनुसंधानी/किन्हीं अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को खान के परिसर में नष्टों में पुनस्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए,

ताकि धूमि का मूल उपयोग अपना वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीच ड्रेज के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प ड्रेज में रिटेंशिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहान से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अगता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Kewradih	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation & Amins	0.10
Total			0.50	

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकारी 08 तरह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपयोग प्रस्तावित कार्य को कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतीवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपेक्षा उत्तमदर्शित होगा। कुशलता अक्षय होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशलता कार्य के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोन्साईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के उपायुक्त पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलता का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनाई द्वारा कटौत गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपेक्षा दिशानिर्देशित होगी।



24. पर्यवेक्षण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (कार्य तारक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल क्षेत्र, ओवरहॉलिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 838 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित कटौती का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, पीपु, आम, इमली, कर्जुन, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम पौधों का रोपण (कुल 838 नम पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कंटेनर वार को बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वसा में संबंधित घास संवर्धन द्वारा विनीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पर्याप्त निरस्त की जा सकती है।
26. उचित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का पर्यवेक्षक को हट्टे कोटोप्राप्ता सहित जानकारी वाला प्रतिलेखन के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का मर-संवाव आनामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कल्ले हूमे मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं कोटोप्राप्ता अधिकाधिक रिपोर्ट में सम्मिलित कल्ले हूमे उत्तीसमङ्ग पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीसमङ्ग को उचित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को उहत्तु प्रस्तावित कार्य कल्ला नहीं कार्य जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होना, उन कल्ले पर नियमित जल सिङ्कलाव की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के उहत्तु बाउन्ड्री मिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों को संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर पर्यवेक्षण क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम कल्ले वाले यंत्रों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विकिरणशील जीव एवं आवरणकला अनुसार जनका उपचार भी कराया जाए।
34. सक्षम प्रधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरान्त विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अध्यापित डिजिटिंग किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

36. उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के उपर असंतुष्ट प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे उल्लिखित वह उत्खनन प्रक्रीसमूह वीन खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
39. कार्य स्थल पर यदि बेमिग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के परभाव हटाया जा सके।
40. अधिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेपरजल विहितस्वीय सुविधा, भीखड़ल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
41. अधिकों का समय-समय पर आयुपूर्वकाल हेतु बर्तिलेस कठना आवश्यक है।
42. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. प्रक्रीसमूह / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
44. एच.ई.आई.ए.ए. प्रक्रीसमूह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन समय से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निष्कास के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
45. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आवा-पवा मापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिकारालय, प्रक्रीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एच. ई.आई.ए.ए. प्रक्रीसमूह की वेबसाइट parishad.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ब वार्षिक रिपोर्ट प्रक्रीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रक्रीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एच.ई.आई.ए.ए. प्रक्रीसमूह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।
47. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं

अवेदन का पूर्व सेंट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉटिफिकेशन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निगमा की जा सकती।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वस्तु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण अधिनियम, 1986 (प्रत्येक एवं सीमांत संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दफ्तिय बीमा अधिनियम, 1981 (प्रत्येक संरक्षित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायदा निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विचलन अथवा उन्नयन एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति को बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।


सदस्य सचिव, एच.ई.ए.सी.


सदस्य, एच.ई.ए.सी.

भारत विलीन बिस्ववर्षीय लिमिटेड (अनसुद्धा आर्बिनरी स्टील टेम्पलरी परमिट नवंबर 2011) को चार्ट ऑफ़ खसतत क्रमांक 328/2, 328/3, 328/8 एवं 328, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-अनसुद्धा, तहसील-भणसरोड, जिला-बनारस में सहायक पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,583 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन चट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दी है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,583 टन से अधिक उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दम्पनात्मक कार्रवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकता है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा उत्तीरनद सावन, खनिज सावन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सहायक पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,583 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कतकत चर्कें कुम्भरे लगाया जाए। लीज क्षेत्र में स्थित बड़े वृक्षों को नहीं काटा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य द्वार द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अर्थात एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जमित अधिन सड़न को विकस्य किया जाता है तो, सतत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की कसब भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश विनांक 28/02/2021 के अनुसार चट्टेदार द्वारा चट्टेदार प्थर एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरेशन हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उत्पन्न के लिए सेंटिक टैंक एवं सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया

जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा द्वारा खान संचालन बंद करने की उपरोक्त (औद्योगिक संचालन operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खानकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, खानकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित ग्राईन रीजोवर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विमनी / बेंद / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघान / सालान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा, खान, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्साट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ धराता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न क्वैटिटीव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निर्धारित रूप से किया जाए। चतुर्थ मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, कलाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सर्वेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। किण्व ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. सड़कों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुक्रम रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई खानों मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को मिश्र (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। खानों मिट्टी (टॉप सोईल) जो लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लैब 20 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग डम्प का सतत रोकने हेतु वैधानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के परचात बने पट्टी में पुनर्स्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए।

ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा अधिक वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन गतिविधि से उत्पन्न किल्ट सीज क्षेत्र के आस-पास के लताही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में लिटिंग वॉल / गारोलेण्ड ड्रेन की आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मोकनेकरी कन्ड्रई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को शमला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Bodalbahara	
			Running water arrangement & drainage work, Toiletries in toilet.	0.40
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Total	0.50

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्वयिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आसका उत्तरदायित्व होगा। कुशासन्य असफल होने पर पर्यावरण सौंदर्यति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशासन्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (मैमबर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसमग्र पर्यावरण संरक्षण मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित करवाया जाए।
23. जब भी निरीक्षण बाल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/चट्टान/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनी द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना अपेक्षी जिम्मेवारी होगी।

24. अखनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी लम्बा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) होल रोड, ओवरलैंड इन आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 कुत्तों का सघन कुशारोपण किया जाए। रमित पट्टी का विकास खेन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्रभाविकता के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, चीसू, आम, इमली, जर्बुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 लग पीपों का रोपण (कुल 750 लग पीपों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। खान उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित राज पंचायत द्वारा किन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट लंबाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रमित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का उल्लेख किये हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी प्राप्त प्रतियेदन के साथ जमा करें।
27. गार्डिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुशारोपण किये जाने एवं रमित पीपों का सजाईवत रेट (Sustenance rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित किये हुए नूत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये कुशारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अलेवार्थिक रिपोर्ट में उल्लिखित किये हुए प्रतीकगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीकगण को उचित किया जाए।
29. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिशोधना से दिन-दिन बढ़ती से पपुजिटिव इस्ट जसार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किया जाए।
31. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कन्सेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउन्ड्री मिल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खेहर, गहर, गद्दी, गडवा एवं अन्य जल निकासों को संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
33. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होगा चाहिए। शीत ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हार्डलम/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिवतरीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका संधारण भी कराया जाए।
34. सखम प्रधिकारी / डी.जी.ए.एस. से अनुमति उपरंत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुदृष्टित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (कलई रीवर) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सखम व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अथारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे इस्ट का जसार्जन नियंत्रण में रहे।

(Handwritten marks and signatures)

35. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर को उपर असंयुक्त भाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी क्विच वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अपनाया जाएगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्खनन छलीसगढ़ नीचे खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। आईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवस एवं मुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसमय सुविधा, पौखड़ल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. भूमिकों का समय-समय पर आकस्मिकता हेतु सर्विलंस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार उचित योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रातीसगढ़ / कार्यलय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अभाव किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पति को सुरक्षित पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. प्रातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रवेष्टा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तरार्जन / निस्काह के मासकों को और सखा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक नूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यपक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आख्य की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सर्विवालय, प्रातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवसोचन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. प्रातीसगढ़ की वेबसाइट samashah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ कार्यक विवरण प्रातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए. प्रातीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर समुत विश्व गए वसतियों एवं

अवैधता का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैधानिक/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली गैरिफिडिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न की जा सकती।
48. परिशोधन प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपरिष्कृत (प्रबंध एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परिशोधन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वरत में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपपूरुता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं प्रयोग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सेक्टर वितीय निगमों में लिमिटेड (वनकुटा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत स्थापित किये गये)

को चार्टर्ड ऑफ़ वनकुटा क्लॉस-328/2 एवं 328/3, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, प्लान-वनकुटा, लहरील-नगरलोक, जिला-बनारसी में सहायक पत्थर (लीज खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,153 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खान पट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,153 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, चाहे जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्खनन प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दम्पनात्मक कार्रवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकता है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा क्षारीयता मान, खनिज सतत विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (सीमा) में से जो कम हो, हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सहायक पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,38,153 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पहले मुद्रा लेखाया जाए। लीज क्षेत्र में निम्न बड़े कुत्तों को नहीं काटा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जलित औषध बर्तन को विकस्य किया जाता है तो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों को लागू रहेगी।
8. मानवीय एनजीटी के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेधार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों का पालन सुनिश्चित बनाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेष निरुद्ध करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सर्जित नहीं किया जाए, अनिवार्य प्रक्रिया में अथवा पुनरावन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सॉफ्टवेर की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी भी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सर्जित नहीं किया

जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तरीमण्डल पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा ध्वंसक खान संचालन बंद करने की उपरोक्त (Joint closing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उपरोक्त खान परिसरों के कारण प्रभावित (disturbed due to mining activities) हुए हैं, उपरोक्त री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस निधि से एक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनपरिचर, जमीन आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परिसरों का प्रभावक द्वारा स्वयं जांचकारी से अनुसंधित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु सेंट्रीपल भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विमनी / बेंड / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अतः, खनि, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हों) से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ प्यथा का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन परिसरों के विभिन्न स्तरों से वायुन फ्लुइडिड इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूल, धुआँ, रैप, संग्रहण क्षेत्र, पहाई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम स्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इस्का सतत संचालन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाहरी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से वायुन वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिसरों वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. तीव्र क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषांतरण किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कचरी मिट्टी (टीथ सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः चारा हेतु कचरा बाहरी ओवरलैंड को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। कचरी मिट्टी (टीथ सीईल) को तीव्र क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंड एवं अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों की उपरि प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पहाई आठ-पाठ की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर तथा सतह 20 किमी से अधिक न हो। ओवरलैंड ढेर का सतह रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषांतरण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को खान के परिसर बने पहाई में पुनःस्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए,

ताकि सुनि का मूल उपयोग अथवा खर्चित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट ड्रीज ड्रेज के असा-वास के तहत ही जल स्रोतों में ड्रॉहित न हो। इसे रोकने हेतु गाईन पीट तथा डम्प ड्रेज में रिटैनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की आवश्यकता आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मैकनीकली कन्ट्रॉल वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से वाहन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समस्त से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
24.43	2%	0.48	Following activities at Govt. Primary School Village- Dhanbuda	
			Donation of books related to Environment Conservation & Amira	0.10
			Plantation	0.41
			Total	0.51

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के कार्यात्मक प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्वयिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उल्लेखित होगा। कुशासन अक्षय होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नम पीपी के लिए प्रति 300 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए प्रति 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 12,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 28,000 रुपये के तहत कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के निगरान एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण समझौते के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खाल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (जहाँ लम्ब 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरहैडम लाइन आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 कुर्छों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हॉल रोडों का विकास भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नींबू, करंज, नींबू, आम, इनजी, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम पौधों का रोपण (कुल 750 नम पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कार्टेदार तार को बड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। खाल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित छान पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किये हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन को साथ जमा करें।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रखा-रखाव अगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित किये हुये नूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अन्वेषित रिपोर्ट में सन्निहित किये हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सी.ई.आर.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थापित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से प्लुजिटिव इन्फ्लुएन्स होना, उन स्थलों पर नियमित जल किड़करा की व्यवस्था किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सात्मक जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
35. सख्त अधिकारी / डी.जी.ए.ए. से अनुमति प्राप्त विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग

किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु सर्वांग एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। डेट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित डिजिटिंग किया जाए, जिससे डस्ट का पर्यावरण नियंत्रण में रहे।

36. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को उपर असांतुत प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थल कर्मस्थलों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, कर्मस्थलों का समुचित संरक्षण अपेक्षा दर्शित होगा।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तीन खनिज का उत्खनन प्राधिकरणद्वारा तीन खनिज नियम, 2015 के प्राधान्यों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। गार्डन एक्ट 1982 के प्राधान्यों का पालन किया जाए।
39. कार्य स्थल पर यदि खनिज भण्डार कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भण्डारों को आसानी एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
40. भण्डारों के लिए खान स्थल पर स्वच्छ पेपलर डिजिटल फोटो, मोबाइल टाइमलैट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
41. भण्डारों का समय-समय पर आकस्मिकतापूर्वक डेल्टा सर्विलेस कन्वेंशन आसानी है।
42. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अनिश्चित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
44. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की उपरेशा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट सर्तों के संतोषपूर्वक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी सर्त में संतोषजनक/निश्चय करने अथवा नई सर्त जोड़ने अथवा समाप्ति / निश्चय के मामलों को और बाधक बनने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
45. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाजवादी वर्गों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आदर्शिकरण हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इच्छा अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड की वेबसाइट panneshah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई सर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उपयुक्त किन्हीं नए दस्तावेजों एवं अलेटन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को उपलब्ध किया जाए।
48. एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइटों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
49. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करनेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, वरिसेक्टरमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
50. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उपकरण एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
51. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग सेंटर एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
52. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सम्मल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

करमच भविष्य, एन.ई.ए.सी.

करमच, एन.ई.ए.सी.

नगरां दिल्लीय विल्लजीन लिमिटेड (नॉटपबलनाला कार्पोरेशी स्टोन टैम्परी परसिद्धि क्वार्टी(1)) को वार्टे लीज खसरा क्रमांक-15 एवं 16, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-नॉटपबलनाला, एहसील-नगरी, जिला-धरमपुरी में सभाल परखर (लीज खनिज) उखनन 2 वर्षी में कुल क्षमता - 87,150 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। अस्तमित उखनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उखनन क्षमता 2 वर्षी में कुल क्षमता - 87,150 टन से अधिक उखनन किया जाना, पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उखनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को खाली सूची में भी खला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उखनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा एकीकृत खदान, खनिज सभन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सभाल परखर का अधिकतम उखनन 2 वर्षी में कुल क्षमता - 87,150 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पहले मुहारे अनाया जाए। लीज क्षेत्र में स्थित बड़े कुओं को नहीं खोया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज वालक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांत एवं देशांतर सहित, उखनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) अनाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किसी क्वार्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित अक्षर बर्तन को कियव किया जाता है तो, खदान प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संश्लेषण द्वारा जारी ई-आई-ए नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 से अनुसार परदेवार द्वारा नर्द्धनित स्थान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करते जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सखी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरापन हेतु पुनःउत्पन्न किया जाए। धरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सॉफ्टीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सखी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपरोक्त भूमि का भी पुनर्वास कार्य सरकार, प्राधिकरण, जन और जनजात प्रतिनिधि, संसदएव, नई दिल्ली द्वारा अधिकृतित मंत्रालय अथवा प्राधिकरण प्राधिकरण संसद के द्वारा अधिकृतित मंत्रालय (जो भी उचित हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

यदि कति पट्टा प्राप्त कर संभालने की कल्पना के उपरोक्त (after cessing mining operations) समय क्षेत्र तथा भूमि की उपाय क्षेत्र जो कि उक्त की सामग्री परिवर्तित की कारण प्रकृतिक (associated with the other mining activities) हुए हैं, उनको से-ग्रॉसिंग (se-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्वासण इस विधि से किया जाएगा, जिसमें यह कार्य, समर्थित/ उचित अदि के उपरोक्त हेतु उपयुक्त हो। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा समग्र प्रतिकारों में अनुमोदित मार्गन स्वीकार करना एक मात्र के हीन प्रस्ताव किया जाए।

11. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तभी) हेतु सेन्टीम न्यू-जल बोर्ड से सम्बन्ध आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

12. किसी निम्नी / डैम / बाँध सेना में सड़क/रेलवे गैर उद्योगों की सजा से निरीक्षण / सामान्य प्रकृति से कम सुनिश्चित किया जाए। सड़क, रेलवे, ट्रांसपोर्ट (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एक्स्टेंशन नियंत्रण के साथ उचित उपाय का रूप निश्चित किया जाए। सड़क, उद्योग, परिवहन, परिवहन, रेलवे के कारण प्रदूषित गैर उद्योगों का नियंत्रण उक्त एवं नियंत्रण का भी किया जाए। पशुधन, रेल, संचरण क्षेत्र, मार्ग एवं अन्य गैर उद्योग विद्युत गैर उद्योगों का संयोजन नियंत्रण एवं जल निष्कासन की प्रकृति की उचित प्रस्ताव सामग्री संयोजन / संयोजन सुनिश्चित किया जाए। विद्युत क्षेत्रों की का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

13. गहरी, खान एवं अन्य प्रकृति से उत्पन्न वायु प्रदूषण की प्रकृति संयोजन, अधिकृत, गैर एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण सुनिश्चित, गैर के साथ सुनिश्चित मार्गों के अनुसंधान एवं जांच। उद्योग क्षेत्र में परिवर्तित वायु की पुनर्वासण प्रकृति संयोजन के प्रकृति, जन और जल वायु प्रकृति संयोजन नई दिल्ली द्वारा अधिकृतित मार्गों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. लीक क्षेत्र के पानी तालक प्रकृति नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई गैर का क्षेत्र / प्रस्ताव नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में प्रस्तावित किया जाए।

15. उद्योग प्रकृति के क्षेत्र गहरी नई कभी पट्टी (लीक क्षेत्र) का प्रकृति उद्योग हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः प्रसार हेतु अथवा कभी उद्योगों की निगर (सुनिश्चित) करने में किया जाए। उक्त पट्टी (लीक क्षेत्र) को लीक क्षेत्र के कवर प्रकृति में प्रकृति करने की अनुमति नहीं होगी।

16. उद्योगों एवं अनुसंधान / किसी अन्य प्रकृति (गैर क्षेत्र) को प्रकृति से पूर्व से निश्चित रूप से प्रकृति किया जाएगा। इस प्रकार के प्रस्ताव उक्त को प्रकृति प्रकृति में सुनिश्चित एवं एवं सड़क प्रकृति प्रकृति आर-वास की भूमि का प्रकृति प्रकृति न आने वाले। उक्त की प्रकृति 2 मीटर तथा लीक 20 मीटर से अधिक न हो। उद्योगों उक्त का कारण प्रकृति हेतु प्रकृति प्रकृति से प्रस्तावित किया जाए।

17. उक्त तक संयोजन एवं अन्य अनुसंधान / किसी अन्य प्रकृति (गैर क्षेत्र) को उद्योग के प्रकृति नई पट्टी में पुनर्वास (गैर निश्चित) हेतु प्रस्तावित किया जाए, सड़क भूमि का पुनः प्रकृति अथवा प्रकृति प्रकृति प्रकृति सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिस्टम लीक क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु नार्थन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गारोपेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मेंकनेक्सी कन्वर्ट वाहन से किया जाए, ताकि खनिज सड़क से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School Village- Gondlanala	
			Running water arrangement & drainage work, Toiletries in toilet.	0.30
			Donation of books related to Environment Conservation & Aims	0.10
			Total	0.40

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उद्योग प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतियोग्य प्राप्त कर अर्थात् कार्य रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। कुशलता असफल होने पर पर्यावरण सौकरुति निरन्तर की जायेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशलता कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओवरसाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीकरण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलता का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक दिखेवासी होगी।
24. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबैंक काम आदि में स्थानीय प्रजाति के 642 पौधों का संपन कुशलता किया जाए। हरित पट्टी का विकास संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्रत्यक्षता की अवधि पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नील, कपड़, चीन्हा, खान, इमली, अर्जुन, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम नमूने का रोपण (कुल 842 नम नमूने) खदान के कुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त संरक्षण (यथा कठिनायक तार के बड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम संस्थागत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले नमूने का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले नमूने में संयोजन (Mixing) एवं नमूने के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रदान प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित नमूने का सवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। यथा ही वृक्षारोपण का सब-संस्था आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत नमूने को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु जी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉफ्टवेयर एवं फोटोग्राफ अवैधानिक रिपोर्ट में उल्लेखित करते हुए जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन के उचित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से स्फुरितिव डस्ट उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउन्ड्री फिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकतानुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. स्थल प्रतिकारी / जी.जी.पी.एस. से अनुमति उपरोक्त डिस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosives License Holder) द्वारा सुनिश्चित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाए। नहर के छोटे-छोटे टुकड़ों (ब्लॉक सेक्स) को चकने से चकने हेतु पर्याप्त एवं स्थल उपलब्ध किया जाए। रेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन इलाका भू-जल स्तर के उपर असंतुलन जमाग में की जाएगी एवं उत्खनन इलाका भू-जल स्तर के नीचे किन्हीं भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि राष्ट्रीय विद्युत वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का संरक्षित संरक्षण अपनाया जायित होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्खनन प्रतीसंग्रह नीचे खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि खनिज अधिक कठोर पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों को आसपास एवं मुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. स्थलों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसूचीय बुनियाद, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. स्थलों का समय-समय पर आकस्मिकतागत हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, वित्तिये उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं आवेष्टित समितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश विन्ती व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार बनाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तपान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उत्संघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण की बुद्धि से, परियोजना की कार्यरत में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के मातासंघन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निवसत करने अथवा गई शर्त जोड़ने अथवा उत्संघन / निवसत के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका आवेदन एम. ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह की वेबसाइट www.mea.gov.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की कई वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण तौर एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / सेंट्रीड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉटिफिकेशन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशेकटमय और अन्य उपशिष्ट (संश्लेष एवं सीमाकार संघलन) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परिशोधन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विद्यमान अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कावत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-अध्यापक एवं जलोग बंड एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील मेहनत डीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, मेहनत डीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिग् गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राज्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स विलीम विल्डकोन लिमिटेड (गोदालनाला आईनरी सीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड)
 को पट्टे अधिक खसता इन्फॉर्म 18, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-गोदालनाला,
 तहसील-नगरी, जिला-बनारसी में संचालन पत्र (लीज खनिज) परखनन 2 वर्षों में कुल
 क्षमता - 21,808 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

एक पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को
 बहुत ध्यान से पढ़ा जाई तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की
 अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित परखनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं परखनन क्षमता 2 वर्षों
 में कुल क्षमता - 21,808 टन से अधिक परखनन किया जाना चाहे जाने पर जारी
 पर्यावरणीय स्वीकृति अखिल जगत से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दस्तावेजक
 काटेबाड़ी की जाएगी। उपरोक्त परखनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न
 करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम परखनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा
 क्षमतागत क्षमता, खनिज संचयन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम
 हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से संचालन पत्र का अधिकतम परखनन 2
 वर्षों में कुल क्षमता - 21,808 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का
 सीमांकन करवाकर फर्कें मुनारे लगाया जाए। लीज क्षेत्र में स्थित बड़े कुएँ को नहीं
 खोदा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज घाटक
 का नाम, खदान का क्षेत्रफल अथवा एवं दस्तावेज सहित, परखनन की मात्रा, स्वीकृति
 अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय
 स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित आँधर बहने की शक्यता किमा जाता है तो, सक्षम प्राधिकारी से
 अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो),
 को उपचार की शक्ति एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
 संकलन द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के
 तहत रहनी।
8. मानवीय दमनीटी के आदेश दिनांक 28/02/2021 से अनुसार पर्यवेर द्वारा
 माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने जाने हेतु
 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करवा है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
 नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए,
 अनिवार्य इसे प्रक्रिया में अथवा कृत्रिम रूप से पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल
 के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्डिफ की व्यवस्था की जाए एवं जल को
 किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया
 जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अथवा में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। पर्यावरित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उगली खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उगली टी-राशिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रतिकारी से अनुमोदित गार्डन ब्लोअर खान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तब) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विनरी / बेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, स्वैम, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। स्थानिक उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण जमाई एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम, संपरण क्षेत्र, बरतई एवं अन्य जगह उत्सर्जन किन्तुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सॉफ्टन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सख्त संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. खनन, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 1.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः पछार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग की स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग स्थानिक (वेस्ट टीक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उपरि प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विरहित प्रभाव न डाल सकें। ढग्ग की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग ढग्ग का सख्त रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग स्थानिक (वेस्ट टीक) को खनन के माध्यम बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टा लीज क्षेत्र के असा-पास के इलाहों जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु बाईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में स्टिंपिंग वॉल / गारोल्ड ट्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मकानेकाली कन्टई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	3%	0.40	Following activities at Govt. High School Village- Khairbhami	
			Running water arrangement in toilet	0.30
			Donation of books related to Environment Conservation & Aimsa	0.12
			Total	0.42

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्रचार से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्कि रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशलरूप अवकाश होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशलरूप कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (जोनसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिलासंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूप का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-क्षेत्रीय समिति से संतुष्टित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदान/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जायगी जिम्मेदारी होगी।
24. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 027 पूर्ण का संपन कुशलरूप किया जाए। डील पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्रत्यक्षता के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कपड़ा, चीड़ू आग, इमली, अर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम नमूनों का रोपण (कुल 750 नम नमूने) खदान के कुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुदृष्टि रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेनर तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वरत में संबंधित ग्राम संघाया द्वारा किन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सवीक्षति उपकराल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पीपों में संतुलकन (Mushroom) एवं पीपों के नाम का उल्लेख कनो दूरे फोटोग्राफस सहित जानकारी फालन प्रतिवेदन के साथ जना करे।
27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का एक-एकव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कनो दूरे नूत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित कनो दूरे अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं करे जाने पर पर्यावरणीय सवीक्षति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से अनुमितीय डस्ट फलार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंक्रकण की व्यवस्था किया जाए।
31. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा निगरलत कनरोशन नियम (Minerals Conservation Rule) की तहत कठण्ठी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, महार, नदी, नाला एवं अन्य जल निखरों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
33. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूशन को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उल्लंघन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं राति के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनिकों को इयरप्लग/नस आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. स्थल प्रतिक्रमनी / डी.जी.एन.एस. से अनुमति फलरत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुदृष्टि एवं नियंत्रित रिधि से कंट्रोल स्थापित किया जाए। फलर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु सर्पित एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गेट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूशन नियंत्रण व्यवस्था अथापित डिजिटिंग किया जाए, जिससे अरत का उल्लंघन नियंत्रण में रहे।
35. उल्लंघन प्रक्रिया सू-जल स्तर के स्तर असंतुल्य प्रमाण में की जाएगी एवं उल्लंघन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि स्थानीय स्थित जनसंख्या को एवं जीव-जन्तुओं का नुकसान न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, पक्षियों का समुचित संरक्षण अपनाया जायित्व होना।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौल्य खनिज का उत्खनन अतीसगढ़ मौल्य खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि बेधिंग स्थित कार्य पर लगाये जाते हैं जो ऐसे स्थलों के अवनत एवं नुकसा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. धमिलों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसम्पन्न सुविधा, मीठाडल टापसेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. धमिलों का समय-समय पर आक्यूटोडनल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, तिथि पर उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अनिष्ट सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अना सम्पत्ति पर अधिकार दर्जाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा बन्द, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एन.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वासर्जन / निराधार के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित स्वता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास आच्छक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ की वेबसाइट www.eca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही को कार्य वार्षिक रिपोर्ट अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, रायपुर एन.ई.आई.ए.ए., अतीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वसतवेजों एवं आवेदन का पूर्ण सीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली वारंटिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टक्रम और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं सीमांकन संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के जाने में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा पालन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं एकीकृत क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिना की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

सदस्य, एम.ई.ए.सी.

केसर्स दिग्दीप मिन्डकोन लिमिटेड (गौदलागला आर्बिनेरी स्टोन टेम्पलरी परमिट नवारी(3))
 को पार्ट ऑफ कन्सल क्रमांक 18, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-गौदलागला,
 तहसील-नगरी, जिला-धरमपुरी में साधारण पाथर (ग्रीन खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल
 क्षमता - 1,11,779 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को
 बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पर्यट के निष्पत्तन की तारीख से 62 वर्ष तक की
 अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों
 में कुल क्षमता - 1,11,779 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, चाये जाने पर जारी
 पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल समाप्त से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक
 कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न
 करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा
 उत्खनन क्षमता, खनिज सातन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम
 हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पाथर का अधिकतम उत्खनन 2
 वर्षों में कुल क्षमता - 1,11,779 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का
 सीमांकन कन्सलर पर्यट मुकामे लगाया जाए। लीज क्षेत्र में निष्पत्त बड़े ड्रॉस को नहीं
 काटा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक
 का नाम, खदान का क्षेत्रफल अर्थात् एवं वेस्टावर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति
 अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय
 स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित ओवर बर्डन को विज्ञापित किया जाता है तो, खदान प्राधिकारी से
 अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो),
 को उपचार की लक्षित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों मानत सक्कर के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
 संश्लेष्य द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के
 तहत होगी।
8. नान्दीय एनजीटी के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पर्यट द्वारा
 माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करते जाने हेतु
 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुला करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
 नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नानित नहीं किया जाए,
 अनिष्ट इसे प्रक्रिया में अथवा क्लोरिनेशन हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल
 को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्डिड को व्यवस्था की जाए एवं जल को
 किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नानित नहीं किया
 जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आना से न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपरोक्त सूचित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, चण्डीगढ़, इन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तरीसंग्रह चण्डीगढ़ संरक्षण संकलन द्वारा अधिसूचित मानक (जी पी कलेर डी) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा बावक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वायु, वनस्पतियों, जीवों आदि को लाभित हेतु उपयुक्त हो। परिरोपण प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन ब्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. नू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से उखनन आरम्भ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विमनी / बेंट / चाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इन्फ्रार, सडींग, ट्रांसफर फाईट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च चक्का का डेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उखनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लुजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण ज्वाही एवं नियमित रूप से किया जाए। चूईच बार्न, रैपर, संग्रहण क्षेत्र, गतई एवं अन्य उच्च उत्सर्जन किन्तुओं डस्ट कंटेनमेंट कम कवरेज सिस्टम एवं उच्च चिड़काल की आवश्यकता की जाकर इच्छम सतह संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। किन्वा ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विभिर्दिष्ट मानकों के अनुसरण रखा जाएगा। उखनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के चण्डीगढ़, इन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेगट का डेन / मण्डालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
15. उखनन प्रक्रिया के दौरान उठाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उखनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसडीन को फिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र को बाहर पृथक से मण्डलित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरसडीन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पुर से विन्हीत स्थल पर मण्डलित किया जावेगा। इस प्रकार के मण्डलण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डलित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विचरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा सतह 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरसडीन डम्प का डालन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरसडीन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के परभाव बने गड्ढों में पुनःस्थापन (रिक ग्रीडिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पूरा उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के गाहरी जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मकानेकाली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहान से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at, Govt. Primary School Village- Bedhwajpura	
			Running water Facility for toilet	0.17
			Installation of drain line, drain work and Toiletries in toilet	0.15
			Donation of books related to Environment Conservation & Amins	0.10
Total			0.42	

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अधिभार रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्बंधित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्बन्धित सुनिश्चित करना आन्तरिक जलवायुविज्ञ होगा। कुशलरूपण अक्षयत होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशलरूपण कार्य के कोऑर्डिनेट एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोगरामाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/बाँध/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनी द्वारा कार्य बन्दे कार्य का निरीक्षण भी अधिभार रूप से करना आवश्यक जिम्मेदारी होगी।
24. गलतनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (जहाँ लम्बे 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील पीट, ओवरलैंडिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 50+ पक्षी का सभ्य कुशलरूपण किया जाए। हरित

पट्टी का विकास खेन्दीय उद्योग निबंधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्राथमिकता के अन्तर्गत खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नील, कर्ज, चीसू, जाम, इमली, अर्जुन, सीसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम नमूने का संग्रह (कुल 700 नम नमूने) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। संग्रह को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका काटेदार तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्वतः उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित जल पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में जनरोसादुसार कुशासन किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले नमूने का ही संग्रह किया जाए। जनरोसादुसार प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशासन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सचीवृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. संघित विवेक करने वाले नमूने में संख्यांकन (Numbering) एवं नमूने के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी फालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर खदान कुशासन किये जाने एवं संघित नमूने का सलाईडल रेट (Slidebook rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशासन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत नमूने को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये कुशासन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए. जलसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय सचीवृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से दिन-दिन स्थानीय से स्तुष्टिगत जल उत्सर्जन होगा, उन स्थानीय पर निर्धारित जल विकल्पों की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बराम्पूरी विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निबंधन हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्सर्जन क्षेत्र में दिन के समय 75 (DB(A)) एवं रात्रि के समय 70 (DB(A)) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. स्वाम प्रधिकारी / डी.जी.एच.एस. से अनुमति उपरंत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (मल्टी टॉक) को ठकने से ठकने हेतु पर्याप्त एवं स्वाम व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण निबंधन व्यवस्था आवश्यक ड्रिलिंग किया जाए, जिससे जल का उत्सर्जन निबंधन में रहे।
35. उत्सर्जन प्रक्रिया सू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव से की जाएगी एवं उत्सर्जन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थित जनसंख्याएँ एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अपनाया जायित होना।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीन खनिज का उत्खनन प्रतीकगढ़ गीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। आईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केमिचल अधिक कार्य पर संचालित करते हैं तो ऐसे स्थलों के आवरण एवं मुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी संरचनाओं के रूप में इसे संचालित है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. शर्तों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विविधराष्ट्रीय मुक्ति, नौबड़ल टाकलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. शर्तों का समय-समय पर आसपासगत हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सामूहिक पर अधिकार प्रदान करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी स्वयंसेवा को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा बंध, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संचालना में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निष्काशन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाजगत पक्षों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवलय, प्रतीकगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. प्रतीकगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीकगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीकगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वसतवों एवं आवेदन का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिनियमों / अधिसूचनाओं को शर्तों के अनुसूचक के संघ में ही जाने वाली परिशिष्टों हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व/वा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण और अन्य अधिसूचित (प्रबंध एवं सीमांकन संरक्षण) विधाय, 2016 तथा लोक दमियन बीमा अधिनियम, 1981 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उल्लंघना अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विचलन अथवा चान्चल्य एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

वेतार्क दितीय बिल्डरकीन लिमिटेड (गौडगानावा आरिंनरी स्टीन टेम्परी परमिट काली(4)) को परी अधिक खरवा कमाण 18 एवं 17, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टर, ग्राम-गौडगानावा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी में साधारण पत्थर (लीज खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,12,468 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन चट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,12,468 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टर अथवा इन्टीग्रेटेड सायन, खनिज सायन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु माना होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 1,12,468 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन बनाकर फलके मुन्ने लगाया जाए। लीज क्षेत्र में किन्तु बड़े कुओं को नहीं काटा जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज खरक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आसंका एवं वेतार्क सर्टिफ, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से खनिज जोकर बर्देन को निकल किया जाता है तो, स्थान अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार चट्टेदार द्वार माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कृतांतपन हेतु पुनः उपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। सम्बन्धित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा विनी भी अन्य क्षेत्र जो कि खानों खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, खानों से-पारिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तब) हेतु क्षेत्रीय भू-जल बोर्ड से परामर्श प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विनी / बेंट / फाईट जोसों के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, स्कीन, ट्रांसकर फाइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्साहोवशन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्सर्जन गतिविधियों के विभिन्न प्रयोगों से उत्पन्न स्टूडिस्टिब इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। सही मार्ग, रैम्प, संचालन क्षेत्र, बरतई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंट्रोलमेंट कम सस्टेन सिस्टम एवं जल सिफ्टकव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. खानों, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों के अनुक्रम तथा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में परिवेदीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषारोपण किया जाए।
15. उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई अपनी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः प्रहार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंड की सिधर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। अपनी मिट्टी (टीप सीईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विनीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को सुरक्षित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आम-वास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंड ढेर का ढलान रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को खान के परिसर बने गड्डों में पुनःस्थापन (रीक रिप्लिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा स्थित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिस्टम सीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु साईन वॉटर तथा अन्य क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारोपेण्ड ड्रेन की आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मकानकारी कच्चाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं चल जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.10	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School Village- Salsahara	
			Installation of UV Filter and its AMC	0.28
			Donation of books related to Environment Conservation & Amsra	0.15
			Total	0.43

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित कच्चे हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा। कुशाचेपन असफल होने पर पर्यावरण सौकरुति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशाचेपन कार्य के नीतिदरिण एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (डीपटाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशाचेपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्कूल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनाई द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनाई जिम्मेदारी होगी।
24. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (धारी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से स्थानीय प्रजाति के 885 कुर्छों का सभन कुशाचेपन किया जाए। इनित भट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्रारम्भिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीप, करंड, चीन्हा, काग, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्वाधीन प्रजातियों के 200 नग पीपों का रोपण (कुल 750 नग पीपों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। काल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम संघ/पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोघान्ना सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
27. राष्ट्रीय लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपों का सर्वाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोघान्ना अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण सफ़ल एवं एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
29. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिवर्धना से जिन-जिन स्थलों से रेड्युसिबल वस्तु उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
31. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कंसोलिडेशन नियम (Minerals Consolidation Rule) के तहत बाध्यकारी रिजल्टों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा जलवा, पोखर, नहर, नदी, बाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधस्वरेय जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. सक्षम प्रतिकर्षी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उत्पन्न विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल बलस्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक) को कड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। रेट डिजिटल अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अथवा डिजिटल किया जाए, जिससे वस्तु का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया में जल स्तर के ऊपर अनंतुरा प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया में जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थित जलपायीय एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, जलपायीयों का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन अन्तीमगढ़ ग्रीन खनिज मिशन, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मई 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल अथवा कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शर्मियों को अलग एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. शर्मियों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितभासीय सुविधा, गोबरखाल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. शर्मियों का समय-समय पर आर्युपेक्षणल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, विद्यमान उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अनिष्ट सम्मिलित है, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन एसाई.आई.ए.ए. अन्तीमगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एसाई.आई.ए.ए. अन्तीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपर्क में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट हार्ड के संतोषघर रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी हार्ड में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई हार्ड जोड़ने अथवा उत्खनन / निर्यात के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, अन्तीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अद्यतन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इलका अद्यतन एसाई.आई.ए.ए. अन्तीमगढ़ की वेबसाइट parvash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई हार्डों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट अन्तीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एसाई.आई.ए.ए. अन्तीमगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदलाव हार्डों के पालन की नॉन-कॉम्प्लायंस की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेंट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।





47. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली सॉलिटरींग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमाकार संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय कानून अधिनियम, 1984 (यथा संशोधित) के अर्थात् विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किए गए में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः कठिन जांचवादी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा कठिन शर्तें निर्दिष्ट करने कायम निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं एचओ केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को समझ, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.